

आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ



**यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2024**

**U.P. AYUSH U.G. Counselling-2024**

वेबसाइट-<https://upayushcounseling.upsdc.gov.in>

Help Line No. (Mob.)- 7376520591, 7376524687

Email Id- upayushcounseling2022@gmail.com

**विवरण पुस्तिका (Brochure)**

शैक्षणिक सत्र (Academic year ) 2024-25

उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विधा के राजकीय महाविद्यालयों/निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के यू0जी0 पाठ्यक्रम (बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0) में प्रवेश हेतु।

For the admission in UG courses (BAMS, BUMS & BHMS) of Ayurveda, Unani & Homoeopathy in Government Colleges /Private Colleges, State Universities/Minority Institutions.

शासनादेश संख्या-5117/96-आयुष-1-2024-15/2024, आयुष अनुभाग-1, दिनांक 02 सितम्बर, 2024 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) मेडिकल कालेजों में यू0जी0 कोर्स (बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0) में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश :-

17/9/2024

अनुक्रमणिका

क०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1	सामान्य निर्देश	3-4
2	काउन्सिलिंग चक्र की समय सारणी	5
3	महत्वपूर्ण सूचनाएं	6-7
4	फलो चार्ट	8
5	अर्हतायें एवं अनर्हतायें	9-10
6	पंजीकरण प्रक्रिया	11
7	धरोहर धनराशि	11-12
8	अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया	12-13
9	काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया	14-16
10	त्याग पत्र के सम्बन्ध में दिशा निर्देश	16
11	आरक्षण एवं सम्बन्धित दिशा निर्देश	17-18
12	कालेजों का शुल्क	19
13	विविध	19
14	कालेजवार स्वीकृत सीटों का विवरण	20-30
15	सामान्य निवास प्रमाण-पत्र का शासनादेश एवं प्रारूप (संलग्नक-1)	31-36
16	अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची एवं प्रमाण-पत्र का प्रारूप (संलग्नक-2)	37-40
17	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जातियों की सूची एवं प्रमाण-पत्र का प्रारूप (संलग्नक-3)	41-43
18	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र का प्रारूप (संलग्नक-4)	44-45
19	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का शासनादेश एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप (संलग्नक-5)	46-47
20	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले केन्द्रों की सूची एवं प्रारूप (संलग्नक-6)	48-52
21	एन०सी०सी० प्रमाण पत्र का प्रारूप (संलग्नक-7)	53
22	भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के प्रमाण पत्र का प्रारूप (संलग्नक-8)	54
23	आयुष महाविद्यालयों के सम्पर्क सूत्र एवं हाईपरलिंक (संलग्नक-9)	55-69

## सामान्य निर्देश(General Instructions)

- **Disclaimer:-Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh & National Informatics Centre (NIC) will conduct the online registration/counselling procedure as per the information filled by the candidates. Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh or National Informatics Centre (NIC) will not be responsible for delay in registration/counselling process due to any kind of technical fault or electricity failure.**
- अस्वीकृति—आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण/काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाओं के अनुसार संचालित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गयी सूचनाओं के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), उ0प्र0 किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा या विद्युत आपूर्ति बाधा के कारण ऑनलाइन पंजीकरण/काउन्सिलिंग प्रक्रिया में विलम्ब के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

Candidates are required to assess their eligibility carefully themselves before applying and depositing the registration fee and security money. The eligibility will be checked at the time of document verification at nodal center and at the time of admission in state AYUSH Colleges/Institutions/Universities as detailed in brochure/website. **Deposited registration fee will not be refunded in any case.**

अभ्यर्थी आवेदन/पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर धनराशि जमा करने से पूर्व अपनी अर्हता के सम्बन्ध में भली-भाँति स्वयं आंकलन कर लें। विवरण पुस्तिका/वेबसाइट में दिये गये निर्देशों के अनुसार काउन्सिलिंग के समय नोडल सेन्टर पर मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रदेश के आयुष कालेजों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। जमा किये गये पंजीकरण शुल्क की वापसी, किसी भी स्थिति में नहीं होगी।

- **Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions, will make the candidate lose his/her candidature and would be subjected to legal action.**
- प्रवेश प्रक्रिया अथवा उसके उपरान्त शैक्षणिक सत्र के समय, यदि अभ्यर्थी की कोई सूचना अनुचित/गलत पायी जाती है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर, उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये सम्बन्धित को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(Helpdesk)

ऑनलाइन काउन्सिलिंग की अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Continuously go through website for updated information about online counselling

<https://upayushcounseling.upsdc.gov.in>

➤ अभ्यर्थियों की शिकायत/समस्याओं का निवारण (Redressal of Student's Grievances):-


अभ्यर्थियों की शिकायत/समस्याओं का निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में नामित अधिकारियों का नाम व पदनाम निम्नानुसार है:-

1. डा० मुकेश सिंह, चिकित्साधिकारी, बरती। (मोबाइल हेल्प लाइन हेतु)	मोबाइल न०-7376524687
2. डा० रेखा वर्मा, चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर। (मोबाइल हेल्प लाइन हेतु)	मोबाइल न०-7376520591
3. डा० अमित कुमार सिंह, आवासीय चिकित्साधिकारी, रा०हो०मे०कालेज, गोरखपुर (ई-मेल कार्यों हेतु)	ई-मेल प्रभारी

(हेल्प लाइन नम्बर पर सूचना प्राप्त करने या समस्याओं का निवारण/समाधान करने का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक)

➤ बैंक सहायता (Bank help desk):- Email:sbiepay@sbi.co.in

Phone:+91-22-27535773(24\*7 customer care service)



## समय सारणी(Time Table)

(1)- प्रथम काउन्सिलिंग चक्र			
क्र०स०	विवरण	दिनांक/समय	कुल दिवस
1	ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि	दिनांक 25/09/2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 28/09/2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक	04
2	धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक 25/09/2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 28/09/2024 को सायं 04:00 बजे तक	04
3	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (State Merit List) का प्रकाशन	दिनांक 28/09/2024 को सायं 06:00 बजे तक	-
4	ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग (वरीयता विकल्प) भरने एवं सीट लॉक करने की तिथि	दिनांक 29/09/2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 01/10/2024 को अपराह्न 02:00 बजे तक	03
5	अन्तिम सीट आवंटन सूची/सूचियों का प्रकाशन	दिनांक 01/10/2024 को सायं 05:00 बजे तक	-
6	नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 03/10/2024 से दिनांक 07/10/2024 तक (प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)	05
7	आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनांक 03/10/2024 से दिनांक 09/10/2024 को सायं 05:00 बजे तक	07
8	प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अन्तिम तिथि	दिनांक 09/10/2024 को रात्रि 11:59 बजे तक	-
9	अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक 10/10/2024 को अपराह्न 01:00 बजे तक	01
10	नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 11/10/2024 को प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक	01
11	अपग्रेडेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनांक 11/10/2024 से दिनांक 14/10/2024 को सायं 05:00 बजे तक	04

द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों की काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में समय सारणी यथा समय बहु प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं काउन्सिलिंग की अधिकृत वेबसाइट <https://upayushcounseling.upsdc.gov.in> पर प्रदर्शित की जाएगी।

- नोट— आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश की अन्तिम तिथि 25 नवम्बर, 2024 निर्धारित की गयी है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में यथावश्यक अग्रिम चक्रों की काउन्सिलिंग की तिथि वेबसाइट— <https://upayushcounseling.upsdc.gov.in> पर सूचित की जायेगी।
- काउन्सिलिंग हेतु नोडल सेन्टर (काउन्सिलिंग स्थल)—  
राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हैनीमैन चौराहा, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ पर मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कालेजों में ही प्रवेश प्रक्रिया हेतु काउन्सिलिंग की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान सत्र 2024-25 में कालेजों की मान्यता की अद्यतन स्थिति/अन्य सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर वेबसाइट <https://upayushcounseling.upsdc.gov.in> का अवलोकन करते रहें।

## 1. महत्वपूर्ण सूचना (Important Notice)

1.1— ऑनलाइन पंजीकरण—काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग की अधिकृत वेबसाइट <https://upayushcounseling.upsdc.gov.in> पर समयसारिणी के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

1.2—पंजीकरण शुल्क (Non Refundable)—सभी चक्रों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेन्सी चक्र/चक्रों) की काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क ₹ 2000/- (रूपये दो हजार मात्र) धनराशि आनलाइन प्रक्रिया (गेटवे के माध्यम से) भुगतान करना होगा। केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जायेगा।

1.3—अभ्यर्थियों को सभी चक्रों की काउन्सिलिंग हेतु केवल एक बार ही पंजीकरण कराना होगा। प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र में सम्मिलित अभ्यर्थी यदि स्ट्रे वैकेन्सी चक्र में प्रतिभाग करने के इच्छुक है तो उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हुये ₹ 1,000/- (एक हजार) मात्र (गेटवे के माध्यम से) पंजीकरण शुल्क पृथक से देय होगा। भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। (Non refundable)


1.4—धरोहर धनराशि (Security Money)- यू0पी0 आयुष यू0जी0 कोर्स के राजकीय आयुष महाविद्यालयों हेतु ₹-20,000/- तथा निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों हेतु ₹-50,000/- धनराशि (Security Money) ऑनलाइन (गेटवे के माध्यम से) भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी दोनों राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों हेतु विकल्प प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे ₹-50,000/- धनराशि जमा करना होगा।

1.5—पंजीकरण शुल्क/धरोहर राशि के ऑनलाइन भुगतान के बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जायेगी। धरोहर धनराशि का लिंक पोर्टल पर तत्समय उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6—यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती हैं और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है अथवा प्रथम एवं द्वितीय चक्र में प्रवेश के उपरान्त द्वितीय/तृतीय चक्र में पुनरावटन कराना चाहता हैं, तो उसे पुनः धरोहर धनराशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

1.7— ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में आवंटन/अपग्रेडेशन के उपरान्त आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं, वह धरोहर धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय/तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं।

1.8—धरोहर धनराशि का भुगतान न करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन भरने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा।



1.9—प्रवेश के उपरान्त धरोहर धनराशि वापसी—जिन अभ्यर्थियों ने सीट आवंटन के पश्चात् सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश ले लिया हो एवं जिन अभ्यर्थियों को कोई सीट अवांटित नहीं हुयी हो, उनकी धरोहर धनराशि वापसी की प्रकिया सभी चक्रों की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् की जायेगी।


1.10—अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जायेगी, जिस बैंक खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ है। अभ्यर्थी साइबर कैफे या किसी अन्य स्रोत से पंजीकरण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे।

1.11—निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी—

- प्रथम, द्वितीय, तृतीय (अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त) एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेता है।
- प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन के उपरान्त अपग्रेडेड कालेज में प्रवेश नहीं लेता है।
- यदि आयुष एडमिशन सेंटरल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, तो उसे समस्त शुल्क (प्रवेश शुल्क रूपये एक हजार छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

1.12—अभिलेखों को अपलोड करना—अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।


- हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण—पत्र।
- इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंकपत्र।
- नीट यू0जी0—2024 स्कोर कार्ड। (Re-revised score card issued by NTA on dated 26.07.2024)
- आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (जो अभ्यर्थी OBC/SC/ST/EWS, EA/FF/NCC/PwD के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ चाहते हैं)।
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार (ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएँ अथवा कोई भी एक परीक्षा उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जायेगा, आधार उपलब्ध न होने अथवा प्रमाणीकरण न हो पाने की स्थिति में ड्राईविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट/पैन कार्ड/फोटो युक्त बैंक पासबुक/अन्तिम महाविद्यालय से निर्गत फोटोयुक्त पहचान—पत्र अपलोड करना होगा।



फ्लो चार्ट (Flow Chart)

COUNSELLING PROCESS AT A GLANCE

FLOW CHART FOR 1<sup>st</sup> & 2<sup>nd</sup> ROUND



*A* *Mr* *Dr* *—* *2* *4* *5*



## 2. अर्हतायें(Eligibility)

### 2.1 नीट यू0जी0 2024 की परीक्षा के आधार पर अर्हता (NEET UG-2024 Eligibility)-

- (i) ऐसे अभ्यर्थी जो नीट यू0जी0 2024 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुये हों तथा जिन्होंने निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2024 हेतु अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वह ही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त स्पष्ट प्रिन्ट आउट ही मान्य होगा।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंटरल काउन्सिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा अनर्ह घोषित न किये गये हों।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यू0जी0 2024 की परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम परसेन्टाइल (Percentile) अंक प्राप्त किये हों।

1-अनारक्षित श्रेणी	न्यूनतम 50 परसेन्टाइल अंक
2-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) के अभ्यर्थी हेतु	
3-अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु	न्यूनतम 45 परसेन्टाइल अंक
4-आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के अभ्यर्थी हेतु	
5-आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु	न्यूनतम 40 परसेन्टाइल अंक


### 2.2 शैक्षणिक अर्हतायें (Educational Eligibility)-

- (I) बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों में प्राप्त अंको को मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक, अनारक्षित दिव्यांग उपश्रेणी हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित दिव्यांग उपश्रेणी हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सभी अभ्यर्थियों को इण्टरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षा अग्रेंजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- (II) बी0एच0एम0एस0 हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में यदि अभ्यर्थी ने जीव विज्ञान के स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलोजी) विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह भी अर्ह होगा। अंको का प्रतिशत बिन्दु-2.2 (I) के अनुसार रहेगा।
- (III) यदि भारतीय चिकित्सा परिषद राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अर्हता में परिवर्तन किया जाता है, तो वह मान्य होगा।

### 2.3 आयु सीमा (Age Limit)-

- (i) न्यूनतम आयु सीमा- पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर या उसके पूर्व तक 17 वर्ष होनी चाहिये। यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2024 के सन्दर्भ में यह 31 दिसम्बर, 2024 तक मानी जायेगी।

समस्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि	दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 अथवा उससे पूर्व की होनी चाहिये।
--------------------------------	---



- (ii) अधिकतम आयु सीमा- आयुष यू0जी0 पाठ्यक्रमों (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये कोई भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

#### 2.4 निवास प्रमाण-पत्र (Domicile Certificate) की अनिवार्यता-

- (i) राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों हेतु अर्हतायें :-  
प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल/निवास का प्रमाण पत्र की आवश्यकता निम्नवत् है -
- (1) जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिये उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल/निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
  - (2) हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई भी एक अथवा दोनो परीक्षाएँ यदि उ0प्र0 से बाहर उत्तीर्ण की हो, तो अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उ0प्र0 के निवासी होने का (डोमिसाइल/सामान्य निवास) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट-डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83 दिनांक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है उसी पर डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त शासनादेश दिनांक-18.02.2003 का प्रारूप ब्रोशर (विवरण पुस्तिका) के साथ संलग्न है।


(ii) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं हेतु अर्हतायें:-

- (1) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं की 85 प्रतिशत स्टेट कोटा की सीटों पर प्रवेश हेतु उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा।
- (2) स्टेट कोटे की सभी सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी तथा उ0प्र0 के मूल निवासियों हेतु शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत/नीट 2024 की मेरिट के न्यूनतम परसेंटाईल अंको में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।
- (3) 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटे की सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु (open for all Categories) उपलब्ध होंगी तथा उनको शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत/नीट 2024 की मेरिट के न्यूनतम परसेंटाईल अंको में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।

### 3. अनर्हतायें (Ineligibility)

➤ निम्नलिखित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे-

- (1) राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं स्ट्रे वैकेन्सी चक्र की काउंसिलिंग के उपरान्त निर्गत अनर्ह सूची में सम्मिलित होंगे, वह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।



#### 4. पंजीकरण प्रक्रिया (Registration)


##### 4.1 ऑनलाइन पंजीकरण, पंजीकरण शुल्क का भुगतान –

- (1) यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग 2024 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- (2) पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी काउंसिलिंग की अधिकृत वेबसाइट <https://upayushcounseling.upsdc.gov.in> पर लॉगिन करें।
- (3) अभ्यर्थी अपने नीट यू0जी0-2024 का रोल नं0 एवं एप्लीकेशन नं0 का प्रयोग करते हुए एवं स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कर अपना पंजीकरण करायें।
- (4) सभी चक्रों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र) की काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को रू0 2,000/- (रूपये दो हजार मात्र) आनलाइन प्रक्रिया (गेटवे के माध्यम) से पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण शुल्क आनलाईन जमा करने का लिंक पोर्टल-<https://upayushcounseling.upsdc.gov.in> पर ही उपलब्ध रहेगा।
- (5) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चक्र में सम्मिलित तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी को पुनः पंजीकरण कराते हुये रू0 1,000/- (एक हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क आनलाइन प्रक्रिया (गेटवे के माध्यम) से पृथक से देय होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं (Non refundable) किया जायेगा।
- (6) अभ्यर्थी जिस चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, उस चक्र की काउन्सिलिंग हेतु उसे बरीयता विकल्प भरना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चक्रों की काउन्सिलिंग में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें अग्रिम चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

#### 5. धरोहर धनराशि (Security Money) एवं भुगतान की प्रक्रिया

- (I) राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में सीट आवंटन हेतु अभ्यर्थियों को धरोहर धनराशि के रूप में रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु धनराशि रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनों में विकल्प प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे रू0 50,000/- धरोहर धनराशि जमा करना होगा।
- (II) पंजीकरण कराते समय अभ्यर्थी को आनलाइन माध्यम से धरोहर धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा। इसका लिंक पोर्टल पर तत्समय उपलब्ध कराया जायेगा।
- (III) धरोहर धनराशि के भुगतान का विवरण निम्नवत् है:-

विकल्प	धरोहर धनराशि
केवल राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु (For Government Colleges only)	रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र)
केवल निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटा/85 प्रतिशत राज्य कोटा की सीट हेतु (For Private Colleges only)	रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र)
राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु (For Government & Private Colleges both)	



- (IV) धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- (V) यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है अथवा प्रथम/द्वितीय चक्र में प्रवेश के उपरान्त द्वितीय/तृतीय चक्र में पुनरावंटन कराना चाहता है, तो उसे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (VI) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में आवंटन/अपग्रेडेशन के उपरान्त आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं (जिसके कारण उनकी धरोहर धनराशि जब्त हो गयी है), वह अभ्यर्थी धरोहर धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय/तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- (VII) आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित/अनावंटित अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि सभी चक्रों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
- (VIII) अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जायेगी, जिस बैंक खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ है। अभ्यर्थी साइबर कैफे या किसी अन्य स्रोत से पंजीकरण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे।
- (IX) निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी—
- प्रथम, द्वितीय, तृतीय (भौतिक सत्यापन के उपरान्त) तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेता है।
  - प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन के उपरान्त अपग्रेडेड कालेज में प्रवेश नहीं लेता है।

## 6. अभिलेखों का सत्यापन (Document Verification) प्रक्रिया

अर्हता से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही काउन्सिलिंग स्थल तथा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय करायी जायेगी। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख, मूलरूप में एवं स्वप्रमाणित एक-एक छायाप्रति सहित निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा।

- 1- NEET यू0जी0-2024 का प्रवेश पत्र।
- 2- NEET यू0जी0-2024 का स्कोर कार्ड। (Re-revised score card issued by NTA on dated 26.07.2024)
- 3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष के अंकपत्र, प्रमाण-पत्र तथा प्रवेशपत्र (यदि उपलब्ध है)।
- 4- इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष के अंकपत्र, प्रमाण पत्र तथा प्रवेशपत्र (यदि उपलब्ध है)।
- 5- सामान्य निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र जो उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
- 6- राजकीय क्षेत्र के आयुष कालेजों में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एन0सी0एल0)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक के आश्रित/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र सत्यापित कराया जायेगा)। आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होंगे। राजकीय आयुष कालेजों में प्रवेश हेतु, अन्य प्रदेशों से जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। स्टेट कोटे की सीटों हेतु भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

Dr. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

- 7- निजी क्षेत्र की 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित प्रदेश से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा के न्यूनतम प्रतिशत/नीट 2024 परीक्षा के न्यूनतम परसेंटाइल अंको में छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी। सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8- अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) का प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो तथा दिनांक-01.04.2024 अथवा उसके बाद का जारी किया गया हो, ही मान्य होगा।
- 9- एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसी निगेटिव से बना हो जिसे अभ्यर्थी ने नीट यू0जी0 2024 की परीक्षा के समय अपलोड किया हो।
- 10- पहचान पत्र (झाइविंग लाईसेन्स/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/पैनकार्ड/पासपोर्ट/अन्तिम महाविद्यालय से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र)। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के समय आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे।
- 11- काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण का प्रिन्ट आउट।
- 12- काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर धनराशि भुगतानों के प्रिन्ट आउट।

#### ➤ नोट—


1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे तथा वर्तमान सत्र 2024-25 के लिए निर्गत किये गये हों। दिव्यांगता प्रमाण पत्र में किसी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विवाद/अस्पष्टता के समाधान हेतु विशेष चिकित्सा बोर्ड गठित करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।
2. एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र ("सी" सर्टिफिकेट न्यूनतम "बी" ग्रेडिंग के साथ) नेशनल कैडेट कोर (National Cadet Corps) हेतु निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी (महानिदेशक/उप-महानिदेशक) द्वारा जारी हो, ही मान्य होगा।
3. मृतपूर्व सैनिक के आश्रित पुत्र/पुत्री को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड द्वारा निर्गत तथा सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड के उच्चाधिकारियों अथवा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
4. अभिलेखों के सत्यापन हेतु राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हैनीमैन चौराहा, विराज खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, नोडल सेन्टर निर्धारित है।
5. मूल अभिलेख न होने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
6. प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग में यदि कोई अभ्यर्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेशित है और उसके मूल अभिलेख उस संस्था में जमा हैं, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस संस्था की अनापत्ति तथा मूल अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु आवंटित संस्था में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवंटित संस्था में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त समझा जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

## 7. काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया (Seat Allotment Process)

1. काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र में सम्पन्न की जायेगी। उक्त के पश्चात् यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि में संशोधन किया जाता है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रे वैकेंसी चक्र/चक्रों से रिक्त सीटों का आवंटन किया जायेगा।
2. विभिन्न चक्रों की काउन्सिलिंग से पूर्व काउन्सिलिंग बोर्ड को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से सत्र 2024-25 की मान्यता प्राप्त समस्त आयुष महाविद्यालयों की सूची (एल0ओ0पी0 के साथ) सम्बन्धित निदेशक द्वारा काउंसिलिंग की अधिकृत ई0मेल पर उपलब्ध करायी जायेगी। समय से सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से सम्बन्धित निदेशक की होगी। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण प्रदान करते हुये सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी। काउन्सिलिंग के मध्य में यदि किसी संस्था को सम्बन्धित आयोग से प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त होती है अथवा सीटों में वृद्धि होती है, तो प्राप्त सीटों को उस चक्र की च्वाइस फिलिंग से पूर्व नियमानुसार सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित किया जायेगा किन्तु विलम्ब से सूचना प्राप्त होने पर उसे अगले चक्र की काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जायेगा।
3. प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन एवं प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों पर उसी काउन्सिलिंग की स्टेट मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा उस काउन्सिलिंग चक्र में उपलब्ध कराये गये वरीयता विकल्पों एवं अभ्यर्थी की सहमति (ओ0टी0पी0 आधारित) के आधार पर उसकी सीट को अपग्रेड किया जायेगा। अपग्रेडेशन प्रक्रिया में प्रवेशित एवं च्वाइस फिलिंग के उपरान्त अनावंटित अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रथम अथवा द्वितीय काउन्सिलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है, तो उसकी पूर्व आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को स्वतः आवंटित हो जायेगी तथा उस अभ्यर्थी को अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा एवं पूर्व में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं रहेगा।
4. प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अग्रिम चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, तो उसे प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से सम्बन्धित काउन्सिलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्ट्रे वैकेंसी चक्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
5. तृतीय चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन्हें नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी में आमेलित/परिवर्तित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
6. निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में आल इण्डिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र में काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की जायेगी। द्वितीय चक्र के उपरान्त यदि सीटें अवशेष रहती है, तो उन सीटों को निजी क्षेत्र के स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत सीटों के साथ सम्मिलित कर लिया जायेगा।
7. AACCC द्वारा घोषित अनर्ह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

### 8. प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग

- (i) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश लेने के उपरान्त अपग्रेडेशन के लिये सहमति (ओ0टी0पी0 आधारित) देने पर अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिये अर्ह होगा। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन से आवंटित सीट पर पुनः प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, पूर्व आवंटित सीट पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी को कोई सीट अपग्रेडेशन में आवंटित नहीं होती है, ऐसी स्थिति में पूर्व प्रवेशित सीट पर उसका प्रवेश यथावत् बना रहेगा।



(ii) आवंटन के उपरान्त प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी।

#### 9. द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग-

- (i) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था, वह पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुयी हो, द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।
- (iv) द्वितीय चक्र में प्रथम चक्र की भॉति सीट अपग्रेडेशन के लिये सहमति (ओटीपी) आधारित) देने पर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया की जायेगी।
- (v) आवंटित अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

#### 10. तृतीय चक्र-

- (i) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें यूपीओ आयुष यूजीओ काउन्सिलिंग 2024 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो। ऐसे अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम एवं द्वितीय चक्र में पंजीकृत नहीं हैं, पंजीकरण कराकर तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित हैं, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।
- (iv) तृतीय चक्र के समय अप्रवेशित आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों (यूपीओ आयुष यूजीओ काउन्सिलिंग-2024 के प्रथम एवं द्वितीय चक्र द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर) को समस्त शैक्षणिक, आरक्षण प्रमाण पत्र व अन्य निर्देशित आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।


तृतीय चक्र हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे:-

1. ऐसे अभ्यर्थी जो त्याग पत्र देने की निर्धारित अवधि के पश्चात् त्याग पत्र देते हैं, वह आगामी चक्रों की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
2. AACCC द्वारा घोषित अनर्ह अभ्यर्थी।

#### 11. स्ट्रे वैकेंसी चक्र-

स्ट्रे वैकेंसी चक्र हेतु समस्त अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 1,000/- (एक हजार) मात्र तथा नवीन अभ्यर्थियों हेतु रू० 2,000/- (दो हजार) मात्र आनलाईन (गेटवे के माध्यम से) पृथक से देय होगा।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें यूपीओ आयुष यूजीओ काउन्सिलिंग 2024 की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो, स्ट्रे वैकेंसी चक्र हेतु अर्ह होंगे।



- अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों के भौतिक एवं आनलाईन सत्यापन के समय नोडल सेंटर पर स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उसके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- स्ट्रे वैकेंसी चक्र में कोई पुनरावंटन (Reshuffle) अनुमन्य नहीं होगा।

12. तृतीय चक्र में आरक्षित सीटों का आमेलन/परिवर्तन:-

क्र०सं०	श्रेणी (जिनका परिवर्तन होना है)	श्रेणी (जिनमें परिवर्तित होगी)
1	अनुसूचित जनजाति-ST (GL/PwD/FF/EA/NCC)	अनुसूचित जनजाति-ST- OP
2	अनुसूचित जाति-SC(GL/PwD/FF/EA/NCC)	अनुसूचित जाति-SC- OP
3	अनारक्षित-UR(GL/PwD/FF/EA/NCC)	अनारक्षित-UR- OP
4	अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC(GL/PwD/FF/EA/NCC)	अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC- OP
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-EWS(GL/PwD/FF/EA/NCC)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-EWS- OP
6	अनुसूचित जनजाति -ST	अनुसूचित जाति-SC- OP
7	अनुसूचित जाति -SC	अनारक्षित-UR- OP
8	अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC	अनारक्षित-UR- OP
9	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-EWS	अनारक्षित-UR- OP

**8. त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें(Resignation)**

1. प्रथम एवं द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरान्त तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग के 48 घण्टे पूर्व (उदाहरण स्वरूप यदि च्वाइस फिलिंग दिनांक 14-10-2024 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होनी हैं तो अभ्यर्थी दिनांक 12.10.2024 को प्रातः 9:59 बजे तक) अपनी सीट से कालेज के माध्यम से समयान्तर्गत त्यागपत्र देता है तो उसका समस्त शुल्क (प्रवेश शुल्क रु० एक हजार छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
2. प्रवेशित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/नोडल आफिसर्स प्राप्त समस्त त्यागपत्र एन०आई०सी० के पोर्टल पर निर्धारित समय अन्तर्गत अपलोड करेंगे। पोर्टल पर अपलोड/अपडेट त्यागपत्र ही मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त त्यागपत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित संस्था को समयान्तर्गत त्यागपत्र दिये जाने पर भी यदि संस्था द्वारा पोर्टल पर त्यागपत्र की सूचना समयान्तर्गत अपलोड नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन (Allotment/Allocation) प्रवेश नहीं है। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को संबंधित कालेज पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।

*(Handwritten signatures and marks)*



## 9. आरक्षण (Reservation)

9.1 राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में आरक्षण:—उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा:—

### (I) उर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण –

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी (SC)	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी (ST)	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी (OBC), (01/04/02024 अथवा उस के बाद का निर्गत प्रमाण-पत्र)	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी, (01/04/02024 अथवा उस के बाद का निर्गत प्रमाण-पत्र)	10 प्रतिशत

अन्य पिछड़ा वर्ग (एन0सी0एल0)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.04.2024 अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

नोट:— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी0सी0 दिनांक 8.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार E.W.S. का आरक्षण उन्हीं कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली द्वारा E.W.S.के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गई हो।

### (II) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण—

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग 2024 में विभिन्न श्रेणी हेतु प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाना है:—

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) के आश्रितों के लिये	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (EA)(युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिये	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग(PwD)अभ्यर्थियों के लिये	05 प्रतिशत
4	महिला (GL)अभ्यर्थियों के लिये	20 प्रतिशत
5	न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन0सी0सी0 (NCC)कैडेट	01 प्रतिशत

9.2 आरक्षित श्रेणियों की सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा :-

(I) काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार उ0प्र0 के शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व काउंसिलिंग बोर्ड का होगा।

(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी/भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

(III) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/2008-का-2-2015, दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शाारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-पुत्र, पुत्री, पौत्र

(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र ही काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(IV) आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2024 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

(V) उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियाँ भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि NEET यू0जी0-2024 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0-2024 की काउन्सिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(VI) शासनादेश संख्या-22 सी0एम0(1)/26.03.2013 दिनांक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के संबंध में शासनादेश के बिन्दु संख्या-03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है :-

**बिन्दु संख्या-3** जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तदनु रूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

**बिन्दु संख्या-4** यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियाँ जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति का आरक्षण का लाभ सम्बन्धित श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमन्य होगा।

(VII) दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम-2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्राविधान के अनुसार प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र जो कि आयुष एडमीशन सेन्ट्रल काउंसिलिंग कमेटी (एएसीसीसी) 2024 हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित केन्द्रों से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(VIII) स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबादद्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को यू0जी0 आयुष यू0पी0 2024 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

**9.3 निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं की सभी सीटों पर आरक्षण अनुमन्य नहीं है। परन्तु-**

(1) स्टेट कोटे की सभी सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी। स्टेट कोटों की 85 प्रतिशत सीटों पर उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण नियमों के अन्तर्गत शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत/नीट 2024 की मेरिट में न्यूनतम परसेंटाईल अंक अनुमन्य होंगे।

(2) 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटे की सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी। अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित प्रदेश का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर आल इण्डिया के आरक्षण नियमों के अनुसार शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत/नीट 2024 की मेरिट में न्यूनतम परसेंटाईल अंक अनुमन्य होंगे।

**10. सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र/अल्पसंख्यक क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों के शुल्क एवं अन्य जानकारियाँ (College Fee)**

**10.1 सरकारी क्षेत्र के आयुष कालेजों के शिक्षण शुल्क—**

सरकारी क्षेत्र के आयुष कालेजों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों लिये रू-15,000/- तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रू-10,000/- साथ ही रू-4,000/- काशन मनी प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय।

10.2 निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शुल्क व अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय के शुल्क का विवरण तथा इन कालेजों/विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण काउन्सिलिंग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। साथ ही अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह सीट आवंटन हेतु विकल्प चयन करने से पूर्व सम्बन्धित कालेजों/विश्वविद्यालयों से स्वयं सम्पर्क कर सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर लें। आवंटन के पश्चात् किसी प्रकार की भी असुविधा हेतु आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन उत्तरदायी नहीं होगा।

**11. विविध (Miscellaneous)**

- (I) समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय/आयुष मंत्रालय, भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- (II) काउन्सिलिंग से प्रवेशित सभी अभ्यर्थियों हेतु सम्बन्धित कालेज स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर मेडिकल कराया जाएगा।
- (III) काउन्सिलिंग में किसी भी प्रकार का विवाद/कोर्टकेस का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा। (The jurisdiction for court cases/disputes shall be at Lucknow only.)

## 12. स्वीकृत सीटों का कालेजवार विवरण (Available Seats)

राजकीय आयुष कालेजों एवं उनमें उपलब्ध स्नातक पाठ्यक्रम की सीटों एवं निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है:-

### आयुर्वेद


क्र० सं०	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय	सीट (स्टेट कोटा)	शुल्क
1	एस.के.डी. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामपुर-मुजफ्फरनगर।	43	प्रवेश शुल्क- 1000 केवल प्रवेश के समय काशन मनी (रिफण्डेबल)-4000 केवल प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क- 10,000/ प्रतिवर्ष विकास शुल्क- 2000/ प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-2000/ प्रतिवर्ष कुल शुल्क- 19,000/- आरक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत (5000/प्रतिवर्ष) एवं कुल शुल्क- 14,000 होगा।
2	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत।	32	
3	एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बरेली।	56	
4	एल.बी.एस. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हण्डिया प्रयागराज।	25	
5	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी।	48	
6	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ।	64	
7	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झाँसी।	43	
योग		311	


क्र० सं०	निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेदिक कालेज	सीट	शुल्क
1	विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, हरदौली कानपुर नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-30,000.00 एक बार प्रवेश शुल्क-10,000.00 एक बार विकास शुल्क-20,000.00 प्रत्येक वर्ष अन्य शुल्क-20,000.00 प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,00,000.00 प्रत्येक वर्ष
2	सर्व देव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड महामृत्युंजय हास्पिटल, इटोरा चन्डेश्वर, आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-30,000.00 प्रत्येक वर्ष अन्य शुल्क-10,000.00 प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-80,000.00 प्रत्येक वर्ष
3	श्री साईं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अलीगढ़।	100	शिक्षण शुल्क-2,57,800.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-90,000.00 प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक
4	इन्स्टीट्यूट आफ आयुष मेडिकल साइन्सेज, विमलार्जुन नगर भागूखेड़ा मोहनलालगंज, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,51,200.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य



5	संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, छाता, मथुरा।	100	शिक्षण शुल्क-2,60,900.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-10,000.00 एक बार प्रवेश शुल्क-1200.00 एक बार पुस्तकालय शुल्क-10,000.00 परीक्षा शुल्क-30,000.00 प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-1,00000.00 प्रत्येक वर्ष
6	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, अलीगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,54,200.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-80000.00 प्रत्येक वर्ष
7	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, भाऊपुर, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,28,800.00 प्रत्येक वर्ष परीक्षा शुल्क-35000 काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-30000 अन्य शुल्क-शून्य
8	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्राम बक्काखेडा, माल, मलिहाबाद रोड, लखनऊ।	50	शिक्षण शुल्क-2,45,700.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-25,000.00 हास्टल शुल्क-90000.00 प्रत्येक वर्ष
9	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बरेली।	100	शिक्षण शुल्क-2,70,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-शून्य
10	धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,52,200.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-5000.00 विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-5000.00 हास्टल शुल्क-70,000.00 ट्रान्सपोर्ट फीस-15000.00
11	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रिसर्च सेन्टर एण्ड हास्पिटल, ग्राम व पोस्ट- गौरहा, कासगंज।	60	शिक्षण शुल्क-2,35,700.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य
12	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अजीतमहल, निवारी रोड, मोदीनगर गाजियाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,60,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 (वापसी) प्रवेश शुल्क-25000.00 एक बार विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-100000.00 प्रतिवर्ष







13	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ।	100	शिक्षण शुल्क-2,44,000.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-25,000.00 (वापसी) प्रवेश शुल्क-2000.00 एक बार विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-110000.00 प्रतिवर्ष हास्टल काशनमनी-5000.00 वापसी
14	जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, एन०एच० 24 पिलखुआ, हापुड।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,700.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 (वापसी) प्रवेश शुल्क-31000.00 एक बार विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-100000.00 प्रतिवर्ष वैकल्पिक
15	शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,55,800.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-80000.00 नार्मल कूलर के साथ 96000. 00 ए०सी० के साथ 140,000.00
16	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, झॉझर, बुलन्दशहर।	60	शिक्षण शुल्क-2,60,500.00 प्रत्येक वर्ष
17	नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुबेरपुर, आगरा।	100	शिक्षण शुल्क-3,00,000.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-50000 एक बार अन्य शुल्क-शून्य ट्रान्सपोर्ट शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-100000.00 वैकल्पिक
18	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर वाराणसी	60	शिक्षण शुल्क-2,69,800.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-15000 हास्टल शुल्क-90000.00 वैकल्पिक
19	श्री सन्तनपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, मिर्जापुर, शहजहाँपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-25000 हास्टल शुल्क-90000.00 वैकल्पिक
20	बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000 यूनीफार्म फीस-8000 डिसेक्शन किड फीस-10000 प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क/सेमिनार/ स्पोर्ट्स/ इत्यादि-60000 अन्य शुल्क-25000 ट्रान्सपोर्ट शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-70000.00 वैकल्पिक

21	चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, पंछी, मेरठ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल एवं मेस शुल्क-90000.00 वैकल्पिक
22	द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, खुशालीपुर, सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000 प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य ट्रान्सपोर्ट शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-15400
23	गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सोनबरसा बालापार मानीराम, गोरखपुर।	100	2,65,800.00
24	रोहिलखण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दोहरा रोड बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000 प्रवेश शुल्क-20000 स्टूडेंट वेलफेयर-24400 विकास शुल्क-शून्य ट्रान्सपोर्ट शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल एवं मेस शुल्क-100000.00 वैकल्पिक
25	आई0आई0एम0टी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मेरठ।	60	शिक्षण शुल्क-2,39,200.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-25000 प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल एवं मेस शुल्क-100000.00 वैकल्पिक
26	डा0 शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, नयनसंद, गौराबादशॉहपुर, जौनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष
27	ग्लोकल कालेज आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, मिर्जापुर, सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,51,300.00 प्रत्येक वर्ष
28	गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, चिनहट, निकट-इन्दिरा कैनाल, फैजाबाद रोड, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000 वापसी प्रवेश शुल्क-50000 विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य
29	विवेक कालेज ऑफ आयुर्वेदिक साइन्सेज एण्ड हास्पिटल, बिजनौर।	100	शिक्षण शुल्क-2,50,000.00 प्रत्येक वर्ष
30	एस0आर0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सिकन्दरपुर ग्वालीयर रोड, आगरा।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-25000 प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य
31	भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, जे0पी0 नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-54000.00

32	ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा।	100	शिक्षण शुल्क-2,45,000.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000 एक बार (वापसी)
33	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हरहुआ, वाराणसी।	60	शिक्षण शुल्क-2,55,500.00 प्रत्येक वर्ष
34	आई0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, चेहारी, फरेन्दा रोड, महाराजगंज।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 प्रवेश शुल्क-2000.00 विकास शुल्क-30,000.00 अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-75000
35	एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं हास्पिटल, चुनार, मिर्जापुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,70,000.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000 प्रवेश शुल्क-25000 विकास शुल्क-25000 यूनिफार्म एवं पाठ्यक्रम सामग्री-15000 अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-124080 डबल सीटर / 92400 ट्रिपल सीटर / 175000 ए0सी0 डबल सीटर
36	एस0के0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, छाता, मथुरा।	100	शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, अन्य शुल्क, विकास शुल्क-2,59,800.00 प्रत्येक वर्ष
37	जावित्री इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंसेज, मोहनलालगंज, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष पंजीकरण शुल्क-25000 काशन मनी-50000 वापसी प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-20000 स्पोर्ट्स सेमिनार इत्यादि-25000 अन्य शुल्क-शून्य
38	आर0के0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, साधियाओं, आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,30,800.00 प्रत्येक वर्ष
39	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान कोइलहा, कौशाम्बी।	60	शिक्षण शुल्क-2,59,000.00 प्रत्येक वर्ष पंजीकरण शुल्क-शून्य काशन मनी-50000 प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य
40	रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मान्धाना, कानपुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,36,500.00 प्रत्येक वर्ष पंजीकरण शुल्क-शून्य काशन मनी-50000 प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य
41	सी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मरेहारा रोड, एटा।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष पंजीकरण शुल्क-शून्य काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य



42	कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हासमपुर, पो0 झालू जिला बिजनौर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष पंजीकरण शुल्क-शून्य काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य
43	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेजर एस0डी0 सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर कानपुर रोड, फतेहगढ, फर्रुखाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,52,900.00 प्रत्येक वर्ष पंजीकरण शुल्क-500.00 काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य परीक्षा शुल्क-25000.00 हास्टल फीस-90,000.00 डबल बेड हास्टल काशन मनी-10,000.00 वापसी
44	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्राम डूंगरावली परतापुर बाईपास रोड मेरठ।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 रजिस्ट्रेशन शुल्क-30,000.00 विकास शुल्क-21,000.00 हास्टल शुल्क-100000.
45	आर0के0 इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, देवरनिया, फरीदपुर, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-5000.00 विकास शुल्क-10,000.00 अन्य शुल्क-15000.00
46	आर0जी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, करौंदा, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 विकास शुल्क/सेमिनार/स्पोर्ट्स/ अन्य शुल्क-25000.00 रजि0 फार्म/डिसेक्सन किट/आईकार्ड-25000.00
47	डा0 कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, झांसी।	45	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-72,000.00
48	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, अमरोहा।	60	शिक्षण शुल्क-2,51,100.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-1000.00 विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-12400.00 हास्टल एवं मेस शुल्क-72,000.00
49	राजश्री आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, नबाबगंज बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष विविध शुल्क-20000 काशन मनी-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क-60,000.00/ए0सी0 85000
50	आम्रपाली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, उन्नाव।	42	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-72,000.00
51	एस0के0 मिश्रा अनिता आयुर्वेदिक कालेज, ताजपुर गरहा, लालगंज आजमगढ़।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क-70,000.00/ए0सी0-1,05,000.00

52	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्सेज एवं रिसर्च सेन्टर, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,55,700.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-1000.00 हास्टल शुल्क- 95000.00
53	महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ईश्वरगंज, बैकुण्ठपुर, विठूर रोड, कानपुर नगर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य विकास शुल्क-99400.00 प्रति वर्ष अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क- 1,00,000.00 ए0सी0-150,000.00
54	फ्यूचर इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज साइन्सेज, फरीदपुर, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-1000.00 हास्टल शुल्क- 65000.00
55	सहारनपुर आयुर्वेद मेडिकल कालेज, हास्पिटल ग्रा0 व पोस्ट संसारपुर, सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 वापसी विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-2000.00 हास्टल शुल्क- 90,000.00
56	सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क- 72,000.00 वैकल्पिक
57	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रूडकी रोड पो0 बरला, मुजफ्फरनगर।	100	शिक्षण शुल्क-2,25,000.00 प्रत्येक वर्ष हास्टल शुल्क- 1,00,000.00 काशन मनी-50,000.00 प्रवेश शुल्क-25,000.00
58	एन्काइट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, परवर पूरब, मोहनलालगंज, लखनऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,53,000.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50,000.00 विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-2500.00 एप्रेन एवं बैग एवं चिकित्सा जॉच 100.00 प्रवेश शुल्क-1600.00 हास्टल शुल्क- 80,000.00 वैकल्पिक
59	कुर्वर शोखर विजेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेन्टर, सहारनपुर।	100	शिक्षण शुल्क-2,52,100.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-25,000.00 विकास शुल्क-5000.00 अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-2100.00 हास्टल शुल्क- 75,000.00 वैकल्पिक
60	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लाडनपुर कोपागंज, मऊ।	100	शिक्षण शुल्क-2,48,000.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य यूनिफार्म शुल्क-10,000.00 हास्टल शुल्क- 72,000.00 / ए0सी0-100000.00

61	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हारीपुर, गोण्डा।	100	शिक्षण शुल्क-2,32,100.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य विकास शुल्क-23500.00 अन्य शुल्क-20,000.00 प्रवेश शुल्क-3500.00 हास्टल शुल्क-78,000.00 03 बेड शेयरिंग
62	अरनव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड सी0एन0एस0 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सतरिख, बाराबंकी।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-1000.00 हास्टल शुल्क- 96,000.00 हास्टल
63	आर0 बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, जलेसर रोड, आगरा	100	शिक्षण शुल्क-2,52,400.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-25000.00 प्रवेश शुल्क-1000.00 हास्टल शुल्क- 75,000.00 हास्टल
64	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर इकौनी, चन्दौली।	60	शिक्षण शुल्क-2,60,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य विकास शुल्क-शून्य अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य हास्टल शुल्क- 6,000.00 प्रति माह वैकल्पिक परिवहन शुल्क-2200 प्रति माह वैकल्पिक
65	भगवन्त आयुर्वेदिक कालेज एंव हास्पिटल, मुजफ्फर नगर।	30	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-25000.00 वापस विकास शुल्क-10,000.00 एक बार अन्य शुल्क-10,000.00 वार्षिक प्रवेश शुल्क-5000.00 छात्रावास शुल्क-60,000.00 वैकल्पिक
66	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,100.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी- 50000 विकास शुल्क-50000 हास्टल शुल्क-50000 ट्रिपल/ 65000 डबल/ 85000 सिंगल
67	श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर छाता, मथुरा।	100	शिक्षण शुल्क-254,200.00 प्रत्येक वर्ष
68	श्री सत्या आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, धनुपुरा, मुरादाबाद।	100	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष
69	मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बेवर रोड, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद,।	100	शिक्षण शुल्क-2,59,200.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य विकास शुल्क-49,800 अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-1000
70	श्री राम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	54	शिक्षण शुल्क-2,58,700.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000 वापसी विकास शुल्क-10000 एक बार अन्य शुल्क-3000 प्रवेश शुल्क-2000 छात्रावास शुल्क-100000

71	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ आयुर्वेदा एण्ड मेडिकल साइन्स, कोठी मंधाना, कानपुर नगर।	90	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-शून्य विकास शुल्क-99400 प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-शून्य प्रवेश शुल्क-शून्य छात्रावास शुल्क-100000/ ए0सी0 150000
72	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहारनपुर।	48	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-50000 वापसी अन्य शुल्क-35400 प्रवेश शुल्क-2000
73	ओ0डी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, कोयल राया, मथुरा।	60	शिक्षण शुल्क-2,04,600.00 प्रत्येक वर्ष काशन मनी-5000 वापसी प्रवेश शुल्क-10000 छात्रावास शुल्क-80000 विकास शुल्क-5000
74	एम0डी0 आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल, बाबरपुर, सिकन्दरा, आगरा।	36	शिक्षण शुल्क-2,48,900.00 प्रत्येक वर्ष परीक्षा शुल्क-वि0वि0 के अनुसार
योग		5555	

होम्योपैथी

क्र0 सं0	राजकीय होम्योपैथिक कालेज	सीट (स्टेट कोटा)	शुल्क
1	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव अस्पताल, गोमती नगर, लखनऊ।	106	प्रवेश शुल्क- 1000/- केवल प्रवेश के समय
2	प0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव अस्पताल, लखनपुर, कानपुर नगर।	106	काशन मनी (रिफण्डेबल)-4000/- केवल प्रवेश के समय
3	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव अस्पताल, फाफामऊ, प्रयागराज।	106	शिक्षण शुल्क- 10,000/ प्रतिवर्ष विकास शुल्क- 2000/ प्रतिवर्ष
4	राजकीय के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव अस्पताल, लाइनपार, मुरादाबाद।	106	अन्य शुल्क-2000/ प्रतिवर्ष कुल शुल्क- 19,000/-
5	राजकीय डा0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव अस्पताल, देवकाली, अयोध्या।	32	आरक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत (5000/प्रतिवर्ष) एंव कुल शुल्क- 14,000 होगा।
6	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव अस्पताल, रौजा, गाजीपुर।	54	
7	शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव अस्पताल, बड़हलगंज, गोरखपुर।	106	
8	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव अस्पताल, अलीगढ़।	64	
9	राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंव अस्पताल, चण्डेश्वर, आजमगढ़।	75	
योग		755	

क्र०सं०	निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज	सीट	शुल्क प्रति वर्ष
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नोयडा, गौतमबुद्धनगर।	100	शिक्षण शुल्क-2,60,000/- काशनमनी- 20,000 /-(रिफण्डेबल) छात्रावास शुल्क-1,10,000 /-
2	जी०सी० होम्योपैथिक कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, चन्द्रिका देवी रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	60	शिक्षण शुल्क-1,75,000 /- काशनमनी- 20,000 /-(रिफण्डेबल) शैक्षणिक भ्रमण-30,000 /- (एक बार) छात्रावास शुल्क-80,000 /- नार्मल से रू०-1,45,000 /- ए०सी० तक अधिकतम।
3	सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गुलेरिया, अमरोहा।	60	शिक्षण शुल्क-1,10,000 /- प्रवेश शुल्क-30,000 /-(एक बार) डवलपमेंट शुल्क / रजिस्ट्रेशन शुल्क - 30,000 /-(एक बार) छात्रावास शुल्क-75,000 /- नार्मल से 95,000 /- ए०सी० तक अधिकतम।
योग		220	

### यूनानी

क्र०सं०	राजकीय यूनानी कालेज	सीट (स्टेट कोटा)	शुल्क
1	राजकीय तकमील उतिब कालेज एवं चिकित्सालय, बिजनौर रोड, निकट रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ।	59	प्रवेश शुल्क- 1000 /- केवल प्रवेश के समय काशन मनी (रिफण्डेबल)-4000 /- केवल प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क- 10,000 / प्रतिवर्ष
2	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज -211016	60	विकास शुल्क- 2000 / प्रतिवर्ष अन्य शुल्क-2000 / प्रतिवर्ष कुल शुल्क- 19,000 /- आरक्षित श्रेणी के लिये शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत (5000 /-प्रतिवर्ष) एवं कुल शुल्क- 14,000 होगा।
योग		119	

	निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज	सीट	शुल्क प्रति वर्ष
1	इब्ने सीना तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, बीनापारा वाया सरायमीर आजमगढ़-276001	50	शिक्षण शुल्क-1,50,000 /- प्रवेश शुल्क-2,000 /-(केवल प्रवेश के समय) छात्रावास शुल्क-10,000 /-
2	जामिया तिब्बिया, देवबन्द, जी-टी रोड, देवबन्द-247554 जिला-सहारनपुर।	60	शिक्षण शुल्क-1,50,000 /- प्रवेश शुल्क-1,000 /-(केवल प्रवेश के समय) छात्रावास शुल्क-36,000 /-
3	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर देवबन्द, न्यू बॉस निकट तलहेड़ी चुंगी, देवबन्द, सहारनपुर-247554	60	शिक्षण शुल्क-1,50,000 /- छात्रावास शुल्क-24,000 /-

4	अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड ए0सी0एन0 हास्पिटल, अनूप शहर रोड, अलीगढ़-202001	60	शिक्षण शुल्क-2,04,000/- प्रवेश शुल्क-20,000/- (केवल प्रवेश के समय) छात्रावास शुल्क-75,000/-
5	इरम यूनानी मेडिकल कालेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ-226022	60	शिक्षण शुल्क-2,64,000/- काशंनमनी -5,000/- (केवल प्रवेश के समय) प्रवेश शुल्क-2,500/- (केवल प्रवेश के समय) छात्रावास शुल्क-30,000/-
6	डा0 अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एवं हास्पिटल, कटौली मलिहाबाद, लखनऊ-226102	50	शिक्षण शुल्क-1,99,000/- काशंनमनी -10,000/- (केवल प्रवेश के समय) छात्रावास शुल्क-60,000/-
7	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कालेज हास्पिटल, ग्लोकल यूनिवर्सिटी कैम्पस, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर-247001	60	शिक्षण शुल्क-1,70,000/- परीक्षा शुल्क-30,000/-
8	हयात यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, हयात काम्पलेक्स, हरदोई रोड, काकोरी, लखनऊ।	54	शिक्षण शुल्क-2,04,600/- छात्रावास शुल्क-96,000/-
<b>कुल योग</b>		<b>454</b>	

➤ नोट- निजी कालेजों का शुल्क औपबन्धित है। समय समय पर निजी संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शुल्क का उल्लेख किया गया जिसकी विस्तृत सूचना ( प्रवेश शुल्क, काशन मनी रिफण्डेबल, शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, अन्य शुल्क) उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि निजी कालेजों का विकल्प चुनने से पूर्व वह शुल्क के सम्बन्ध में संबन्धित कालेज से स्वयं जानकारी प्राप्त कर लें।

- 1- राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक कालेजों की सीटों में ई0डब्लू0एस0 कोटे की सीटें सम्मिलित हैं।
- 2- काउन्सिलिंग में उन्हीं आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है, जिनको शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु भारत सरकार से प्रवेश की अनुमति प्राप्त है। काउन्सिलिंग के मध्य में यदि किसी संस्था को सम्बन्धित आयोग से प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त होती है अथवा सीटों में वृद्धि होती है, तो प्राप्त सीटों को उस चक्र की च्वाइस फिलिंग से पूर्व नियमानुसार सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित किया जायेगा। कालेज के सम्मुख अंकित सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि भी हो सकती है।
- 3- यदि विवरण पुस्तिका एवं सम्बन्धित शासनादेश में कोई भिन्नता पाई जाती है तो शासनादेश में निहित व्यवस्था प्रभावी मानी जायेगी।
- 4- आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारित न होने के कारण न्यूनतम निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा।

(प्रो0 जमान अख्तर)  
निदेशक, यूनानी, उ0प्र0।

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)  
निदेशक, होम्योपैथी/सदस्य  
सचिव, काउन्सिलिंग  
बोर्ड-2024

(मानवेन्द्र सिंह)  
महानिदेशक, आयुष/निदेशक  
आयुर्वेद/अध्यक्ष काउन्सिलिंग  
बोर्ड-2024

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,  
तुलसी गौड़,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।


महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते हैं।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को " नागरिकता " जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड़ कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को " नागरिकता " से जोड़कर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में गुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश को प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaदेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



संबंधी सार्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनांक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्वारा डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

- (1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तदनुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।
- (2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए "सक्षम अधिकारी" होंगे।
- (3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।
- (4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।
- (5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चरुपा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 संलग्न है।
- (6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।





चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नित किया जायेगा।

- (8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उतदायित्य होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जाँच हेतु संबंधित जाँच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जाँच आख्या मॉग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जाँच आपतियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।
- (9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे हैं, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।
- (10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय "दि सिटीजनशिप एक्ट-1955" में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।
- 4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,  
(तुलसी गौड)  
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)  
आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम .....

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम .....

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि है तो)

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक).....

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो) .....

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र).....

पूरा वर्तमान पता .....

थाना .....तहसील .....

जनपद ..... (तथा पिछले तीन वर्षों से निवास करने का पता, कब से कब तक)

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि .....

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)


7(क) आवेदक का जन्म स्थान .....

(ख) जन्म तिथि .....(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता .....

आवेदक का नवीनतम फोटो सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर सहित चरम्पा दी जाये।

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है  
(हाँ/नहीं)..... (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10- प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए .....

में..... घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनार्थ सत्य हैं व  
मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम

तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर  
सहित आवेदन पत्र के साथ नथी की जाय।)

#### सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
..... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर  
.....ग्राम/मोहल्ला.....  
पोस्ट..... जनपद..... उत्तर प्रदेश को  
में ..... वर्षों से जानता हूँ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी..... वर्षों से  
उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

#### अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... की या उसके माता/पिता  
की ग्राम/मोहल्ला..... तहसील .....  
जिला.....में अचल सम्पत्ति है।  
दिनांक:


हस्ताक्षर,

सत्यापनकर्ता का नाम

पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है

श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
 मकान नंबर .....  
 गुहल्ला ..... थाना .....  
 उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता .....

फोटो की एक प्रति चस्पा  
 करने के बाद सक्षम  
 अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित  
 व मुहर लगाकर प्रमाणित की  
 जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (वक्तकपदंतपसल त्मेपकमदज ) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,  
 का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह रूपांतर रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

*(Handwritten signatures and marks)*

## Annexure 2

प्रमाण-पत्र प्रारूप नं- 1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (UPOBC)

संख्या-----

दिनांक-----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पुत्री/  
श्री-----निवासी ग्राम-----  
तहसील-----नगर-----जिला----- उत्तर प्रदेश राज्य  
की----- पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित  
जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के  
अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पूर्वोक्त अधिनियम 1994  
(यथासंशोधित) की अनसूची-दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य  
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक  
सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-  
2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए  
सकल वार्षिक आय आठ लाख रूप, या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में  
यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी----- तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के  
ग्राम-----तहसील-----नगर जिला----- में  
सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर----- दिनांक

पूरा नाम-----


स्थान-----

पद नाम तथा सील-----

मुहर-----

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटीमजिस्ट्रेट/परगना  
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन  
पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग  
बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।





# उत्तर प्रदेश शासन

## उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

सबनऊ  
सदर

जारी दिनांक:

है कि

पुत्र/पुत्री  
माता का नाम

निवासी

ग्राम  
तहसील  
जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की प्रोविन (अंगार) जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:  बौद्ध अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (मंशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। संख जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (मंशोधन) अधिनियम २००२ एवं शामनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इसमें अधिक नहीं है तथा इनके पास छत्र कर अधिनियम १९५७ में तथा बिहिय छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

**SHAMBHU SHARAN**  
Digitally Signed by SHAMBHU SHARAN  
DEPARTMENT OF REVENUE  
OFFICE OF REVENUE  
SHAMBHU SHARAN, S-JUR  
Pradesh

सबन अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
सदर, सबनऊ  
दिनांक:

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक विधि से सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से सुरक्षित है। इसका प्रयोग केवल ही मान्यता के लिए किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://adshard.gov.in> पर दर्ज करने के लिए प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, प्रमाणित किया जा सकता है।

नोट- दिनांक 01.04.2024 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिये।


*[Handwritten signatures and marks]*




FORM OF  
CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES  
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

ज ो दिनांक:



खैर



नोट-भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत  
प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
खैर, अलीगढ़  
दिनांक:

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की जाग इन आदमी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पढ़ने आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

*(Handwritten signatures and marks)*

## उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उन्हीर यादव, ग्वाला, यदुवंशी</li> <li>3. जगट</li> <li>4. कुर्मी, चनऊ, कुर्मी-सैधवार, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल</li> <li>6. गुरदर</li> <li>8. लोधा, लोधा, लोधी, लोट, लोधी-राजपूत</li> <li>10. अरख, अर्कवंशीय</li> <li>11. काछी, काछी-कुशवाहा, शक्य</li> <li>13. केवट, मल्लाह, निषाद</li> <li>15. कोइरी</li> <li>17. कसगर</li> <li>19. गड़ेरिया, पाल, बघेल</li> <li>21. चिकवा, कस्साब, कुरेशी, चक</li> <li>23. जोगी</li> <li>24. झोजी</li> <li>26. तनोली, बरई, चौरसिया</li> <li>27. तेली, सामानी, सोमनगर, सद्दू, रौनिया, गन्धी, अर्काक</li> <li>29. धीवर</li> <li>31. गट (जो अनुरूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)</li> <li>33. फकीर</li> <li>35. वडई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगड़िया, जागिड, धीमान</li> <li>36. हारी</li> <li>38. बिन्द</li> <li>40. गंर, राजभर</li> <li>42. भट्टियारा</li> <li>44. रवीपर (जो अनुरूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर</li> <li>46. लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर लोनिया-चौहान</li> <li>47. रंगरेज, रंगवा</li> <li>49. हलवाई, मोदकवाल</li> <li>50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास</li> <li>51. राय सिक्ख</li> <li>53. धोषे (जो अनुरूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)</li> <li>54. कंसरा, ठठेरा, ताग्रकार</li> <li>56. गोरशिकार</li> <li>58. मंब, मेवाती</li> <li>60. रोड</li> <li>62. मोवी</li> <li>64. तांवर सिंघाड़िया</li> <li>66. माझीगिर</li> <li>68. धाकड़</li> <li>70. ततवा</li> <li>72. पटवा, पटहारा, पटहरा, देववशी</li> <li>74. मनिहार, कथेर, लखेरा</li> <li>76. मोनिन (अंसार)</li> <li>77. मुस्लिम कवयस्थ</li> <li>79. नददाफ (धुनियां), मन्सूरी, कन्डरे, कंडरे, करण (कर्ण)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार</li> <li>5. गिरी</li> <li>7. गोगाई</li> <li>9. कम्बोज</li> <li>12. कहार, करयप</li> <li>14. किसान</li> <li>16. कुम्हार, प्रजापति</li> <li>18. कुजड़ा या राईन</li> <li>20. गद्दी, धोसी</li> <li>22. छीपी, छीपा</li> <li>25. डफाली</li> <li>28. दर्जी, इदरीशी, काकुल्य</li> <li>30. नवकाल</li> <li>32. नाथक</li> <li>34. बंजारा, रकी, मुंगेरी, मुकरानी</li> <li>37. बैरागी</li> <li>39. बिघार</li> <li>41. भुर्जो, भडभुजा, भूज, कांबू, कशोबाम</li> <li>43. मत्ती, सेनी</li> <li>45. लोहार, लोहार-संगी</li> <li>48. मारछा</li> <li>52. रावका-गिरी, गिरी-अब्राही</li> <li>55. नानबाई</li> <li>57. शेख सरवारी (गिराई), पीराही</li> <li>59. कोष्टा/कोष्टी</li> <li>61. खुमरा, संगतराश, हंरीरी</li> <li>63. खामी</li> <li>65. कतुआ</li> <li>67. दागी</li> <li>69. गाडा</li> <li>71. जोरिया</li> <li>73. कलाल, कलवार, कलार</li> <li>75. मुराव, मुराई, मौय</li> <li>78. मिरासी</li> </ol> |
|---|---|



Annexure 3

प्रमाण पत्र प्रारूप नं- 2

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप)

संख्या-----

दिनांक -----

(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी -----पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री  
-----निवासी -----ग्राम-----

तहसील-----नगर-----  
-----जिला-----

उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी-----तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के  
ग्राम-----तहसील-----नगर-----  
जिला-----में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर-----  
स्थान-----  
दिनांक-----

हस्ताक्षर  
पूरानाम  
पदनाम तथा सील---  
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी  
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी  
मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।





**अनुसूचित जातियों की सूची (Schedule Caste of U.P.)**

- |  |                                  |                          |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1. अगरिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   | 2. बधिक                          | 3. धादी                  |
| 4. वहलिया  | 5. दैमा (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 6. वैसवार                |
| 7. बजनिया  | 8. बाजगी                         | 9. बलहार                 |
| 10. वलाई   | 11. बाल्मीकि                     | 12. बंगाली               |
| 13. बनमानुश  | 14. बांसफोड                      | 15. बरवार                |
| 16. बसोड   | 17. बावरिया                      | 18. बेलदार               |
| 19. बेरिया   | 20. गंतू                         |                          |
| 21. भुइया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)   | 23. बोरिया                       | 24. चमार, झुसिया, धुसिया |
| 22. भुइयार जाटव  |                                  |                          |
| 25. चैरो (सोनभद्र और वाराणसी जिले को छोड़कर)   | 26. दवगर                         | 27. धनभर                 |
| 28. धानूक  | 29. धरकार                        | 30. धात्री               |
| 31. डोम  | 32. डोमर                         | 33. दुसाध                |
| 34. घरामी  | 35. घसिया                        |                          |
| 35. गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों को छोड़कर) | 37. ग्वाल                        | 38. हबूड़ा               |
| 39. हरी  | 40. हेला                         | 41. कलाबाज               |
| 42. कंजर   | 43. कपडिया                       | 44. कश्यप                |
| 45. खराहा  |                                  | 47. खटीक                 |
| 46. खरवार (बनवासी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों को छोड़कर)   | 49. कोल                          | 50. कोरी                 |
| 48. खोरांट   | 52. लालबेगी                      | 53. मझवार                |
| 51. कोरवा  | 55. मुसहर                        | 56. नट                   |
| 54. मजहबी  |                                  |                          |
| 57. पंखा (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले को छोड़कर)   | 59. पासी, तरमाली                 |                          |
| 58. परहिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)  | 61. रावत                         |                          |
| 60. पटरी (सोनभद्र जिले को छोड़कर)  | 63. सिनोरिया                     | 64. सासिया               |
| 62. सहारया (ललितपुर जिले को छोड़कर)  | 66. तुरैहा                       |                          |
| 65. शिल्पकार   |                                  |                          |

**उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची**

- |   |           |           |         |                     |
|---|-----------|-----------|---------|---------------------|
| 1. थारू   | 2. बुक्सा | 3. भोटिया | 4. राजी | 5. जन्मसारी/जौनसारी |
| 6. गोंड, धुसिया, नायक, आंझा, पटारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में) |           |           |         |                     |
| 7. खरवार, खरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)   |           |           |         |                     |
| 8. सहारया (ललितपुर जिले में)  |           |           |         |                     |
| 9. परहिया (सोनभद्र जिले में)  |           |           |         |                     |
| 10. बेना (सोनभद्र जिले में)   |           |           |         |                     |
| 11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में)  |           |           |         |                     |
| 12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)   |           |           |         |                     |
| 13. पटारी (सोनभद्र जिले में)  |           |           |         |                     |
| 14. चैरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जिले में)   |           |           |         |                     |
| 15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में)  |           |           |         |                     |

नोट:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 यथासंशोधित के अनुसार आरक्षण अनुसूचित किया जाएगा।

*(Handwritten signatures and marks)*

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....

दिनांक.....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पति/पुत्री ..... ग्राम/कस्बा.....


पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....

तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
  - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
  - III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
  - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।



हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

नोट— दिनांक 01.04.2024 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिये।

Download from UPVojana.net

(प्रपत्र- 11)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....  
ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस .....  
थाना ..... ब्लॉक ..... तहसील .....  
जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के  
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कुई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।  
नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

## Annexure 5

संख्या-18/1/2008-का-2/2015

सेवा में

राजीव कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्यक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 21 अप्रैल, 2015

CM/JR

विषय -

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आश्रित प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

9.36  
25/15

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शास्रीरक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र एवं पुत्री को सम्मिलित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शास्रीरक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के 'आश्रित' जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है, के निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें।

3- अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों/ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनु रूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय

(राजीव कुमार)  
प्रमुख सचिव

संख्या-18/1/2008(1)-का-2/2015-तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपातनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।

[Handwritten signatures and marks]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती ..... निवासी  
ग्राम-..... तहसील-..... नगर-.....  
जिला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,  
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,  
1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित).....  
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र  
की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993  
(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....  
..... के आश्रित हैं।

स्थान :  
दिनांक :

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
मुहर .....

जिलाधिकारी  
(सील)



(Generated From the MCC Portal)

**CERTIFICATE OF DISABILITY**

(As per Gazette Notification No. MCI-34(41)/2018-Med./170045 dated 5<sup>th</sup> February, 2019 for admission to Medical Courses in All India Quota)

Certificate No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_  
 Name of the Designated Disability Centre (as per ANNEXURE): \_\_\_\_\_  
 This to certify that Dr. / Mr. / Ms. \_\_\_\_\_  
 Aged \_\_\_\_\_ Years Son/ Daughter of Mr. \_\_\_\_\_  
 R/o \_\_\_\_\_

Recent Passport  
Size Photograph  
of the candidate  
duly attested by  
the issuing  
authority

NEET Roll No. \_\_\_\_\_ Rank No. \_\_\_\_\_, has the following

Disability (Name of the Specified Disability) \_\_\_\_\_  
 and has Permanent Physical Impairment (PPI) with the Disability Range (in percentage)  
 of \_\_\_\_\_ (in words) \_\_\_\_\_ (in Figures).

- Please tick on the "Specified Disability"


(Assessment may be done on the basis of Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-section(i), Ministry of Social Justice and Empowerment)

S/No.	Disability Type	Type of Disability	Specified Disability
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability B. Visual Impairment C. Hearing Impairment D. Speech & Language Disability	a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. others such as Amputation, Poliomyelitis  a. Blindness b. Low Vision  a. Deaf b. Hard of hearing  a. Organic/ Neurological causes
2.	Intellectual Disability		a. Specific Learning Disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental Aphasia) b. Autism Spectrum Disorders
3.	Mental Behaviour		a. Mental illness
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions b. Blood Disorders	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism  i. Haemophilia, ii. Thalassemia, iii. Sickle Cell Disease
5.	Multiple Disabilities including Deaf Blindness		More than one of the above specified disabilities.

- Conclusion: He/ She is Eligible/ Not Eligible for admission in Medical/ Dental courses as per the MCI/ DCI Guidelines subject to his being otherwise medically fit.

Sign & Name \_\_\_\_\_ Sign & Name \_\_\_\_\_ Sign & Name \_\_\_\_\_  
 (Concerned Specialist) (Concerned Specialist) (Concerned Specialist)

अस्वीकृति- यह प्रमाण पत्र अस्थायी प्रारूप है एवं स्थायी प्रारूप सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार की अनिश्चितता/संशय की स्थिति में अभ्यर्थी को पुनः डिसेबिलिटी के स्तर की स्पष्टता हेतु नैदानिक परीक्षण के लिये भेजा जा सकता है। यह प्रमाण पत्र केवल इस शैक्षणिक वर्ष हेतु ही वैध है।





Office of MCC  
Email: [adgme@nic.in](mailto:adgme@nic.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES  
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110011

Ref. U-11011/01/2024-MEC

Dated: 30-07-2024

## NOTICE

**Subject: NEET UG Counselling 2024**

**Kind Attention: NEET UG Candidates (CW& PWD)**

It is for the information of all the Children/Widows of Armed Forces and Persons with Disabilities (CW & PWD) Candidates to be ready for preparation of the relevant documents to ensure their eligibility in respective category.

CW candidates to be in touch with Delhi University and MCC Websites for updates.

PWD candidates to take appointment with any of the nearest/ feasible Centre out of 16 (Sixteen) notified Centres. Kindly refer to list of Centers for the type of disability assessment facility present at the Centre and then visit accordingly (refer to Annexure-I).

For any other information, you may reach us at **1800 102 7637**.

Notice posted on: 30.07.2024



भारत सरकार/Government of India  
आयुष मंत्रालय/Ministry of Ayush  
केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति) एएसीसीसी(  
Ayush Admissions Central Counseling Committee (AACCC)

Ref. No. AA-11013/1/2023-EP-I

Dated: 01.08.2024

**NOTICE**

**Kind Attention to all PwBD candidates who wish to participate in  
AACCC-UG Counseling-2024**

All the PwBD candidates going to participate in AACCC-UG counseling 2024 who have registered themselves as PwBD candidates at NTA website during registration for NEET (UG)-2024 examination and want to avail benefits of 5% PwBD reservation in AIQ seats of Govt./Govt.Aided/Central Universities/National Institute of ASU & II-UG (BAMS/BSMS/BUMS/BIIMS/B.Pharm-ITRA) Courses shall refer & follow the instructions for PwBD certificate cited in MCC notice dated 30.07.2024 (*Copy enclosed*).


\*\*\*\*\*

*[Handwritten signatures and initials]*

**ANNEXURE-1**

**List of Disability Certification Centres who will issue Disability Certificates as per NMC norms to PwD candidates in support of their claim to avail 5% PwD reservation in UG/ Broad Speciality PG Courses**

S/No.	Name of Disability Certification Centre	City/State	Specialities Available for which Disability Certificate can be issued as per category of Disabilities mentioned in Disability Certificate
1	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital (VMMC & SJH)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate <b>except Visual disabilities category and Intellectual Disabilities &amp; Behavioural disabilities.</b>
2	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR)	Mumbai	For Locomotor Disability only
3	Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMEER)	Kolkata	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
4	Madras Medical College (MMC)	Chennai	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
5	Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound	Mumbai, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
6	Goa Medical College	Goa	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate <b>except Speech Disability.</b>
7	Government Medical College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate Ophthalmology Tests to be conducted at Regional Institute of Ophthalmology, Thiruvananthapuram under GMC Thiruvananthapuram
8	SMS Medical College	Jaipur, Rajasthan	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate <b>except:</b> 1. Neurology- Genetic Testing 2. ENT- Speech & Language Disability Testing Orthopaedics/ PMR- Goniometer Adult. Plumb Line, Hand Dynamometer, Laser




9	Govt. Medical College and Hospital, Sector 32	Chandigarh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
---	---	------------	---

10.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	Agartala/Tripura	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
11.	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University,	Varanasi/ Uttar Pradesh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Intellectual Disability.
12.	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai	Mumbai, Maharashtra	For Hearing Disabilities only
13.	AIIMS, Nagpur	Nagpur, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
14.	Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi. (ABVIMS & RMLH)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except ENI For Visual Disability: Candidates who use LVAs may bring their own LVAs which can be checked.
15.	Lady Hardinge Medical College & Associated Hospitals (LHMCA)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
16.	All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru	Mysuru, Karnataka	For Speech & Hearing Disabilities only

Annexure 7

एन०सी०सी० प्रमाण-पत्र का प्रारूप



प्रमाण - पत्र 'सी'  
CERTIFICATE 'C'

सं. No.	यूपीएसडी / UPSD/16/	रैंक Rank	कैडेट CADET
नाम Name	शुभेन्द्र आदित्य	सुपुत्र/सुपुत्री Son/Daughter	नेत सम
युनिट Unit	BAREILLY	जन्म तिथि Date of Birth	
राष्ट्रीय कैडेट कॉर्पस निदेशालय NCC Directorate		यूपी लखनऊ UP, LUCKNOW	

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित कैडेट ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन सन् 20<sup>19</sup>..... में हुई प्रमाणपत्र 'सी' परीक्षा .....श्रेणी में पास कर ली है

This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in ..... Grade held in 20 19..... under the authority of ministry of Defence, Government of India.

क्र. सं.  
Ser. No.

स्थान  
Place

दिनांक  
Date

उप महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्पस  
Dy. Director General, National Cadet Corps.

*(Handwritten signatures and marks)*

**Annexure 8**

**भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रारूप**

**ELIGIBILITY CERTIFICATE**

1. This is to certify that Mr/Miss/Mrs. [Redacted] is the Son/daughter/widow/wife of No. [Redacted] Rank PO Name [Redacted]

2. His/Her date of birth as recorded in the service document and Matriculation certificate is [Redacted]

3. The above named individual:

Priority-I : Widows/Wards of Defence personnel killed in action.

Priority-II : Wards of disabled in action and boarded out from service

Priority-III : Widows/Wards of Defence personnel who die while in service with death attributable to military service.

Priority-IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority-V : Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards.-

Priority-VI : Wards of Ex-Servicemen.

Priority-VII : Wives of:

(i) Defence personnel disabled in action and boarded out from service.

(ii) Defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

(iii) Ex-servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Award.

Priority-VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority-IX : Wives of Serving Personnel.

4. [Redacted] Son/Daughter/wife/widow of No. [Redacted] Rank PO Name [Redacted]

is eligible for Nomination as a Govt. of India nominee under Ministry of Defence quota for admission in Medical/Dental Colleges in Priority- VI

No. [Redacted]  
 Dated: [Redacted]  
 Stamp: [Redacted]

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास  
 CO/OC Unit/ ZSB/RSS

**COUNTERSIGNED**

Dated: [Redacted] सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड के उच्चाधिकारियों अथवा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।



Stamp: [Redacted]

**Note:** For serving personnel eligibility certificate will be signed only by CO Unit or OIC Record.





[Handwritten signatures and marks]

## Annexure 9




- राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न०	कालेज की ई०मेल आई०डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	राजकीय तकमील उल्लिब कालेज एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद, निकट रमाबाई स्थल, लखनऊ।	प्रो० अब्दुल कवी 9826212048	sttcollegean dhospital@g mail.com	<a href="https://sttcollegeko.com">https://sttcollegeko.com</a>	
2	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज -211016	डा० वसीम अहमद, 9371566384	s.u.m.c.allah abad@gmail .com	<a href="https://www.sumc.in/">https://www.sumc.in/</a>	





- राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आई०डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, दुड़ियागंज, लखनऊ।	प्रो० माखन लाल 9454363904	statayuriko @gmail.com	<a href="https://sacko.in">https://sacko.in</a>	
2	ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, पीलीभीत।	प्रो० एस०एस० बेदार 6394075543	lhac_plb@re diffmail.com	<a href="https://www.lhsacpilibhit.in">https://www.lhsacpilibhit.in</a>	
3	राजकीय एस०आर०एम० आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, बरेली।	प्रो० डी०के० मौर्य 9456914676	aydcollege0 581@rediff mail.com	<a href="http://www.ayurvediccollegebareilly.in/">http://www.ayurvediccollegebareilly.in/</a>	
4	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, हण्डिया, प्रयागराज।	डा० विनोद कुमार सिंह 9415367647	gachandia82 @gmail.com	<a href="http://www.gac-handia-alld.org/">http://www.gac-handia-alld.org/</a>	



5	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, वाराणसी।	प्रो० शशि सिंह 9451680560	racvaranasi@rediffmail.com	http://racvns.co.in/	
6	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, झांसी।	प्रो० आर०के० राठौर 9411020092	ayurvediccollegejhan@gmail.com	https://ayurvediccollegejhan.com/	
7	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, मुजफ्फर नगर।	प्रो० देवेन्द्र जोशी 9412379021	swamiayumzn@gmail.com	http://skdgacmzn.in	

➤ राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्राचार्य का नाम एवं मो०न०	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शांतीपुरम, फाफामऊ प्रयागराज -211013	प्रो० (डा०) हेमलता 7518181848	homoallahabad013@gmail.com	http://www.statelbshmc.com	
2	राजकीय पं० जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर- 208024	प्रो० राजेश कुमार वर्मा 9918877844	principalhmc.kanpur78@gmail.com	http://Jawaharhmcgov.co.in/	
3	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ-226010	प्रो० दिलीप कुमार सोनकर 7398204457	nhmclko@yahoo.co.in	https://nhmclucknow.com	
4	राजकीय डा० बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल देवकाली, अयोध्या- 224001	डा० अशीष कुमार सिंह 9795390211	principalbkhm@gmail.com	https://bkhmcayodhya.in	

*(Handwritten signatures and marks)*






5	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल रौजा, गाजीपुर- 233001	प्रो० राजेन्द्र सिंह 9827004022	ghmcgzp@g mail.com	<a href="http://www.sh&lt;br/&gt;mcgz@ac.in">http://www.sh mcgz@ac.in</a>	
6	राजकीय के०जी०के० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लाईनपार मुरादाबाद -244001	प्रो० प्रमोद कुमार सिंह 9414250716	principalkgk hmcollege@ gmail.com	<a href="https://www.k&lt;br/&gt;gkhomoeocolle&lt;br/&gt;ge.org">https://www.k gkhomoeocolle ge.org</a>	
7	राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल चण्डेश्वर, आजमगढ़ -276128	प्रो० विजय कुमार पुष्कर 9415466529	principalsdj h13@gmail. com	<a href="https://www.s&lt;br/&gt;djhmcgov.org/">https://www.s djhmcgov.org/</a>	
8	राजकीय शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल बड़हलगंज, गोरखपुर -273402	प्रो० अनिल कुमार मिश्रा 8318045659	principalsh mcg@gmail .com	<a href="https://www.s&lt;br/&gt;hmcg.ac.in">https://www.s hmcg.ac.in</a>	
9	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, छेरत, अलीगढ़- 202122	प्रो० राम अशीष यादव 9454723873	rhmcaligarh @gmail.co m	<a href="https://www.s&lt;br/&gt;hmca.ac.in">https://www.s hmca.ac.in</a>	


*Handwritten signature*

*Handwritten marks and signatures*

- निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्राचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।








क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा।	डा० सी०पी० शर्मा 9899101747	principal@bakson.net	<a href="https://baksonhmc.com/">https://baksonhmc.com/</a>	
2	जी०सी० होम्योपैथिक कालेज एवं रिसर्च सेन्टर, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	डा० सुषमा डी० गोपले 7565001252	ps.chairman@gcrg.in	<a href="https://gcherc.in">https://gcherc.in</a>	
3	सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गुलेरिया, अमरोहा	डा० मनीष चन्द्र सिंह 8931960244	sshmcollege@gmail.com	<a href="http://www.sshmcollege.com">www.sshmcollege.com</a>	

- निजी क्षेत्र के यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आईडी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	इब्ने सीना तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, बीनापारा बाया सरायमीर आजमगढ़-276001	हकीम मोहम्मद अजमल 9450738768, 7007634601	istchbp.azamgarh@yahoo.co.in	<a href="https://ibnesinatibbiya.org">https://ibnesinatibbiya.org</a>	







*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*








2	जमिया तिब्बिया देवबन्द, जी-टी, रोड, देवबन्द-247554 जिला-सहारनपुर	प्रो० अनीस अहमद 9760479788	<a href="mailto:info@jamiatibbiya.com">info@jamiatibbiya.com</a>	<a href="https://jamiatibbiya.com/">https://jamiatibbiya.com/</a>	
3	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर देवबन्द, नया बॉस निकट तलहेड़ी चुंगी, देवबन्द, सहारनपुर- 247554	डा० मौहम्मद असलम 9259083758, 8923272006, 8630804581	<a href="mailto:dumc_deoband@rediffmail.com">dumc_deoband@rediffmail.com</a>	<a href="http://www.dumc.co.in">http://www.dumc.co.in</a>	
4	अलीगढ़ यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड ए०सी०एन० हास्पिटल, अनूप शहर रोड, अलीगढ़-202127	प्रो० अहमद नदीम खान 7078674942, 9411488834	<a href="mailto:auamc@rediffmail.com">auamc@rediffmail.com</a>	<a href="https://www.aligarhunanicollege.com/">https://www.aligarhunanicollege.com/</a>	
5	इरम यूनानी मेडिकल कालेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ-226026	डा० अब्दुल हलीम 9307219807, 9918054727	<a href="mailto:eumclucknow@gmail.com">eumclucknow@gmail.com</a>	<a href="https://eumclucknow.com/">https://eumclucknow.com/</a>	
6	डा० अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद लखनऊ-226101	प्रो० सिराज उद्दीन खान 9454598343, 9935232520, 9307261992	<a href="mailto:draatch@gmail.com">draatch@gmail.com</a>	<a href="http://draatch.org/">http://draatch.org/</a>	
7	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कालेज हास्पिटल, ग्लोकल यूनिवर्सिटी कैम्पस, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर -247001	प्रो० रेहान सफी 9960968350	<a href="mailto:principal@glocalunanicollege.in">principal@glocalunanicollege.in</a>	<a href="https://www.glocalunanicollege.in/">https://www.glocalunanicollege.in/</a>	
8	हयात यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, हयात कम्प्लेक्स, हरदोइ रोड, काकोरी, लखनऊ-226101	डा० अजमा कुरैशी 7521003925, 9455077880	<a href="mailto:hayatunanimedicalcollege.rc@gmail.com">hayatunanimedicalcollege.rc@gmail.com</a>	<a href="https://hayatunmc.com/">https://hayatunmc.com/</a>	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller marks and initials on the right.

- निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नम्बर एवं कालेज की ई-मेल आईडी, वेबसाइट हाइपरलिंक एवं जिओ टैग फोटो का विवरण।

क्र० सं०	कालेज का नाम	प्रधानाचार्य का नाम एवं मो०न० तथा ई०मेल	कालेज की ई०मेल आई०डी	कालेज वेबसाइट हाइपरलिंक	जियो टैग फोटो
1	विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, हरदौली कानपुर नगर।	डा० ओमवीर सिंह 9336170403	<a href="mailto:vimlafamilyamc@gmail.com">vimlafamilyamc@gmail.com</a>	<a href="http://www.vimlagroup.com">www.vimlagroup.com</a>	
2	सर्व देव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड महामृत्युंजय हास्पिटल, इटोरा चन्डेश्वर आजमगढ़।	डा० बृजेश कुमार 9415257492 9792577779	<a href="mailto:sdayurvedamh@gmail.com">sdayurvedamh@gmail.com</a>	<a href="http://Sarvdevayurveda.in">Sarvdevayurveda.in</a>	
3	श्री साईं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अलीगढ़।	डा० अरुण कुमार 8791102676	<a href="mailto:srisamc@yahoo.com">srisamc@yahoo.com</a> , <a href="mailto:saialigarh@gmail.com">saialigarh@gmail.com</a>	<a href="http://www.Srisaigroup.com">www.Srisaigroup.com</a>	
4	इन्स्टीट्यूट आफ आयुष मेडिकल साइन्सेज, विमलार्जुन नगर भागूखेड़ा मोहनलालगंज, लखनऊ।	डा० यू०ए० खान 9140483638 6393664635	<a href="mailto:iamsayucollege@gmail.com">iamsayucollege@gmail.com</a>	<a href="http://www.iamscollege.co.in">www.iamscollege.co.in</a>	
5	संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, छाता, मथुरा।	डा० मोहनन एम० 9359688846 9557414918	<a href="mailto:info@sanskriti.edu.in">info@sanskriti.edu.in</a> , <a href="mailto:sanskritiayurvedic@gmail.com">sanskritiayurvedic@gmail.com</a>	<a href="http://www.sanskriti.edu.in/ayurvedic">www.sanskriti.edu.in/ayurvedic</a>	
6	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, अलीगढ़।	डा० रवि नारायण महन्ता 9927742600	<a href="mailto:jipmcollege@gmail.com">jipmcollege@gmail.com</a>	<a href="http://www.ayurvedicmedicalcollege.com">www.ayurvedicmedicalcollege.com</a>	

*[Handwritten signatures and marks]*

7	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, भाऊपुर, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद।	डा० जी० के० श्रीवास्तव  9839012371 9670566661 9721279797	<a href="mailto:dr.shailendra2014@gmail.com">dr.shailendra2014@gmail.com</a>	<a href="http://www.sbsjsmc.com">www.sbsjsmc.com</a>	
8	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एव हास्पिटल, एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्राम बक्काखेडा, माल, मलिहाबाद रोड, लखनऊ।	डा० रूपाली महादिक  9450460200 9322187726	<a href="mailto:prabuddhamchrc@gmail.com">prabuddhamchrc@gmail.com</a>	<a href="http://pamchrc.com">pamchrc.com</a>	
9	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बरेली।	डा० वनन्जा रानी  9642224621	<a href="mailto:gangasheel.ayurveda@gmail.com">gangasheel.ayurveda@gmail.com</a>	<a href="http://www.gangasheelayurvedacollege.org">www.gangasheelayurvedacollege.org</a>	
10	धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	डा० किशोर चन्द्र प्रधान 9410405769 6398806366	<a href="mailto:mgfayur@gmail.com">mgfayur@gmail.com</a>	<a href="http://www.bamcbareilly.in">www.bamcbareilly.in</a>	
11	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रिसर्च सेन्टर एण्ड हास्पिटल, ग्राम व पोस्ट- गौरहा, कासगंज।	डा० नागेन्द्र सिंह  8340255460	<a href="mailto:knpiksj@gmail.com">knpiksj@gmail.com</a>	<a href="http://www.kanrcr.com">www.kanrcr.com</a>	
12	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अजीतमहल, निवारी रोड, मोदीनगर गाजियाबाद।	डा० राजेश शर्मा 9690846336 9897021311	<a href="mailto:djayurmedical@gmail.com">djayurmedical@gmail.com</a>	<a href="http://www.djayurvedacollege.org">www.djayurvedacollege.org</a>	
13	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ।	डा० सतीश कुमार राघव  9557928863 8126434111	<a href="mailto:info@mahaveerayurveda.org.in">info@mahaveerayurveda.org.in</a>	<a href="http://www.mahaveerayurveda.org.in">www.mahaveerayurveda.org.in</a>	

*The Ayurveda*









*Handwritten signature and scribbles*

*Handwritten scribble*










*Handwritten signature*

14	जी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, एन0एच0 24 पिलखुआ, हापुड।	डा0 भावना 9873123002	gsmedicalcollege@gmail.com,	www.gsayurvedaMedicalCollege.com	
15	शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	प्रो0 वी0एन0 त्रिपाठी 98889003418	shivalikayurvediccollege@gmail.com	www.samcollegeazm.com	
16	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, झॉंझर, बुलन्दशहर।	डा0 सुरेश एम0 येवले 99852001	prakashayurvedic@yahoo.com, ayurvedprakash9@gmail.com	www.prakashayurvedicstitute.in	
17	नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कुबेरपुर, आगरा।	डा0 प्रदीप कुमार 9756270885 8193896320	namcagra@@gmail.com	naiminathayurveda.org	
18	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर वाराणसी।	डा0 आर0डी0 तिवारी 9415355964 9415202299	shrikrishnaamc@gmail.com	www.shrikrishnaayurvedicshospital.com	
19	श्री सन्तनपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, मिर्जापुर, शहजहाँपुर।	डा0 प्रद्धमन कुमार 9473644444	santalpalsingh@gmail.com	www.sssamc.in	
20	बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	डा0 शैलेन्द्र सिंह सेंगर 9753411398 8303700428 9919931333	babuyugraisinghayurveda@gmail.com	www.bysayurvedic.com	
21	चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, पंछी, मेरठ।	डा0 नागभूषणम 9349489757 9560205965	charakayurvedichospital@gmail.com	www.charakayurvediccollege.com	

*[Handwritten signatures and marks]*







22	द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, खुशालीपुर, सहारनपुर।	डा० राजीवा जी०बी० 9557529922	<a href="mailto:dronacharyaayurvedic@gmail.com">dronacharyaayurvedic@gmail.com</a>	<a href="http://www.dronacharyaayurvediccollege.com">www.dronacharyaayurvediccollege.com</a>	
23	गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सोनबरसा बालापार मानीराम, गोरखपुर।	डा० मंजू नाथ एन०एस० 9886728745	<a href="mailto:Ayurveda@mgug.ac.in">Ayurveda@mgug.ac.in</a>	<a href="http://www.ayurveda.mgug.ac.in">www.ayurveda.mgug.ac.in</a>	
24	रोहिलखण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, दोहरा रोड बरेली।	डा० आर०के० तिवारी 9411087509 9412822332 8755922339	<a href="mailto:ramchorg@gmail.com">ramchorg@gmail.com</a>	<a href="http://www.ramch.in">www.ramch.in</a>	
25	आई०आई०एम०टी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, मेरठ।	प्रो० सुजीत कुमार दलाल 8280170678	<a href="mailto:principal_ayurveda@iimtdia.net">principal_ayurveda@iimtdia.net</a>	<a href="http://iimtayurvediccollege.ac.in">iimtayurvediccollege.ac.in</a>	
26	डा० शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, नयनसंद, गौराबादशॉहपुर, जौनपुर।	डा० अनिल कुमार त्रिपाठी 9935568575 9044124004	<a href="mailto:drsakuntalay@gmail.com">drsakuntalay@gmail.com</a>	<a href="http://drshakuntalaayush.in">http://drshakuntalaayush.in</a>	
27	ग्लोकल कालेज आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर, मिर्जापुर, सहारनपुर।	डा० जॉन फिनबे 9528437130	<a href="mailto:principal@glocalayurvedacollege.in">principal@glocalayurvedacollege.in</a>	<a href="http://www.glocaluniversity.edu.in">www.glocaluniversity.edu.in</a>	
28	गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, चिनहट, निकट-इन्दिरा कैनाल, फ़ैजाबाद रोड, लखनऊ।	डा० अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव 9897298138	<a href="mailto:gamch@goel.edu.in">gamch@goel.edu.in</a>	<a href="http://www.gamch.goel.edu.in">www.gamch.goel.edu.in</a>	
29	विवेक कालेज ऑफ आयुर्वेदिक साइन्सेज एण्ड हास्पिटल, बिजनौर।	डा० संदीप अग्रवाल 9837324210	<a href="mailto:vivekcollege@gmail.com">vivekcollege@gmail.com</a>	<a href="http://www.vcas.in">www.vcas.in</a>	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller marks and initials on the right.









30	एस0आर0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सिकन्दरपुर ग्वालीयर रोड, आगरा।	डा0 गजेन्द्र सिंह 8433453348	<a href="mailto:drhari.bhadoria@gmail.com">drhari.bhadoria@gmail.com</a>	<a href="http://www.srsamc.co.in">www.srsamc.co.in</a>	
31	भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, जे0पी0 नगर।	प्रो0 सुधीर चन्द्र अग्रवाल 8077702654	<a href="mailto:bamsipnagar@gmail.com">bamsipnagar@gmail.com</a>	<a href="http://www.bmcjpnagar.com">www.bmcjpnagar.com</a>	
32	ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, नालेज पार्क, ग्रेटर नोएडा।	प्रो0 सुभान अली अकब 9873807011 7982572066	<a href="mailto:coordinator@ishanfamily.ac.in">coordinator@ishanfamily.ac.in</a>	<a href="http://Ayurved.ishanfamily.com">Ayurved.ishanfamily.com</a>	
33	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हरहुआ, वाराणसी।	डा0 यशवन्त चौहान 8765624982	<a href="mailto:sasayurveda@gmail.com">sasayurveda@gmail.com</a>	<a href="http://www.Sasvns.org">www.Sasvns.org</a>	
34	आई0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, चेहारी, फरेन्दा रोड, महाराजगंज।	डा0 गौथमन एम0 9745912599 9838627267	<a href="mailto:itmbams5487@gmail.com">itmbams5487@gmail.com</a>	<a href="http://www.itmamc.h.in">www.itmamc.h.in</a>	
35	एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एवं हास्पिटल, चुनार, मिर्जापुर	डा0 प्रभात कुमार सिंह 9415204632	<a href="mailto:aims.mzp@gmail.com">aims.mzp@gmail.com</a>	<a href="http://www.apexims.in">www.apexims.in</a>	
36	एस0के0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, छाता, मथुरा।	डा0 बी0के0 पराशर 8755710922	<a href="mailto:sksayurvedic@gmail.com">sksayurvedic@gmail.com</a>	<a href="https://www.sksayurvedic.com">https://www.sksayurvedic.com</a>	
37	जावित्री इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंसेज, मोहनलालगंज, लखनऊ।	डा0 सीमा सक्सेना 8604054140 7905565505	<a href="mailto:javitri2019@gmail.com">javitri2019@gmail.com</a>	<a href="http://www.jiams.co.in">www.jiams.co.in</a>	
38	आर0के0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,साधियाओं, आजमगढ।	डा0 के0एन0 यादव 9451551275 7983001492	<a href="mailto:rkayurvedicmdicalcolleg@gmail.com">rkayurvedicmdicalcolleg@gmail.com</a>	<a href="https://rkamc.org.in/">https://rkamc.org.in/</a>	

*[Handwritten signatures and marks]*



39	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान कोइलहा, कौशाम्बी।	प्रो० विनोद कुमार 7524037425	shivprakashsing h1978@gmail.c om, cssas.allahabad @gmail.com	www.cssas.o rg	
40	रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मान्धाना, कानपुर।	डा० गिरीष सहदेव कारगोत्तर 7311139295	principal.ramch @ramauniversit y.ac.in	www.ramaay urveda.com	
41	सी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मरेहारा रोड, एटा।	डा० ओम वीर सिंह 9336170403	drmohitcs@gm ail.com	www.csayur vedicollege.c om	
42	कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हासमपुर, पो० झालू जिला बिजनौर।	डा० मिलिन्द वालुन्जकर 7060693169	krishnaeducatio naltrust2014@g mail.com	www.krisnaa yurvediccoll ege.in	
43	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेजर एस०डी० सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर कानपुर रोड, फतेहगढ, फर्रुखाबाद।	डा० अम्बरीश कुमार बाथम 7007694973 9554964671	drambrishayush @gmail.com	www.sbsdad dujiaaydmch. org	
44	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्राम डूंगरावली परतापुर बाईपास रोड मेरठ।	डा० सदिहा बानो 9690357604 9536901209 9871111777	shriramamc@re diffmail.com	shreeramamc .org	









Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller marks and initials on the right.

45	आर०के० इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, देवरनिया, फरीदपुर, बरेली।	डा० महेन्द्र प्रताप सिंह 7017356560	<a href="mailto:rkims.snf@gmail.com">rkims.snf@gmail.com</a>	<a href="http://www.rkiams.com">www.rkiams.com</a>	
46	आर०जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, करौंदी, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	डा० राकेश कुमार गुप्ता 8299818594 9336018000	<a href="mailto:rgsahc23@gmail.com">rgsahc23@gmail.com</a>	<a href="http://www.rgsayurvedcollege.in">www.rgsayurvedcollege.in</a>	
47	डा० कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, झांसी।	डा० अविनाश पस्तौर 7000067242 9415948930	<a href="mailto:drkgdamchjhansi@rediffmail.com">drkgdamchjhansi@rediffmail.com</a>	<a href="http://www.drkgdwivediayurvediccollegejhansi.com">www.drkgdwivediayurvediccollegejhansi.com</a>	
48	डब्लू०टी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, अमरोहा।	डा० सीमा अग्रवाल 7599041190	<a href="mailto:wtnschool@gmail.com">wtnschool@gmail.com</a>	<a href="http://wtmayurvedicmedicalcollege.org">wtmayurvedicmedicalcollege.org</a>	
49	राजश्री आयुर्वेदिक मेडिकल एण्ड हास्पिटल, नबाबगंज बरेली।	डा० राज कुमार गुप्ता 8171282627	<a href="mailto:rajshree.institute@gmail.com">rajshree.institute@gmail.com</a>	<a href="http://www.Rajshree.ac.in">www.Rajshree.ac.in</a>	
50	आम्रपाली आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, उन्नाव।	डा० ध्रुव मिश्रा 8449418880	<a href="mailto:inaamcunnao@gmail.com">inaamcunnao@gmail.com</a>	<a href="http://www.aamcunnao.com">www.aamcunnao.com</a>	
51	एस०के० मिश्रा अनिता आयुर्वेदिक कालेज, ताजपुर गरहा, लालगंज आजमगढ़।	प्रो० शान्तनु दास 7008607748	<a href="mailto:skmanita2020@gmail.com">skmanita2020@gmail.com</a>	<a href="http://www.skmamc.org">www.skmamc.org</a>	
52	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्सेज एवं रिसर्च सेन्टर, लखनऊ।	डा० आर०के०सिंह 7749655555	<a href="mailto:spiamsr@gmail.com">spiamsr@gmail.com</a>	<a href="http://www.spiamsr.org">www.spiamsr.org</a>	










*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*






*[Handwritten marks]*

53	महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ईश्वरगंज, बैकुण्ठपुर, विदूर रोड, कानपुर नगर।	डा० वंशपति पटेल 9754346913 8171282627	<a href="mailto:Principal.mpamc@mpgi.edu.in">Principal.mpamc@mpgi.edu.in</a>	<a href="http://www.mpamc.in">www.mpamc.in</a>	
54	फ्यूचर इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज साइंसेज, फरीदपुर, बरेली।	डा० बी०के० सिंह 9837318106	<a href="mailto:futureinstitutions2009@gmail.com">futureinstitutions2009@gmail.com</a>	<a href="http://www.futureinstitutions.org">www.futureinstitutions.org</a>	
55	सहारनपुर आयुर्वेद मेडिकल कालेज, हास्पिटल ग्रा० व पोस्ट संसारपुर, सहारनपुर।	प्रो० अमरनाथ 8954038277	<a href="mailto:Dramarnath20989@gmail.com">Dramarnath20989@gmail.com</a>	<a href="http://saharanpurhospital.in">saharanpurhospital.in</a>	
56	सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, मीरगंज, बरेली।	डा० वीरेन्द्र प्रताप 9956108080	<a href="mailto:satyaraicharitabletrust@gmail.com">satyaraicharitabletrust@gmail.com</a>	<a href="http://www.satyarajamch.com">www.satyarajamch.com</a>	
57	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रूडकी रोड पो० बरला, मुजफ्फरनगर।	डा० अंजनेय कुमार सिंह 7983707919 9557543354 9837569583 8755555047	<a href="mailto:bamcmzn@rediffmail.com">bamcmzn@rediffmail.com</a>	<a href="http://www.bamchrc.co.in">www.bamchrc.co.in</a>	
58	एन्काइट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, परवर पूरब, मोहनलालगंज, लखनऊ।	डा० इन्द्रेश कुमार सिंह 9721244400	<a href="mailto:Ankerite_2006@yahoo.com">Ankerite_2006@yahoo.com</a>	<a href="http://www.medicalcollege.ankeritegroup.com">www.medicalcollege.ankeritegroup.com</a>	
59	कुर्वर शेखर विजेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेन्टर, सहारनपुर।	डा० विकास शर्मा 7830810052 9350133591	<a href="mailto:mail@shobhituniversity.ac.in">mail@shobhituniversity.ac.in</a>	<a href="http://www.sug.ac.in">www.sug.ac.in</a>	
60	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लाडनपुर कोपागंज, मऊ।	डा० मनोज कुमार कौशल 9721104818	<a href="mailto:prakash0manish@gmail.com">prakash0manish@gmail.com</a>	<a href="http://www.bamch.org.in">www.bamch.org.in</a>	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller marks on the right.

61	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हारीपुर, गोण्डा।	डा0 सिम्पल चौहान 9839673554 9532745186	<a href="mailto:scpmcollege@gmail.com">scpmcollege@gmail.com</a> <a href="mailto:scpmayurveda@gmail.com">scpmayurveda@gmail.com</a>	<a href="http://www.scpmgroup.org">www.scpmgroup.org</a>	
62	अरनव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड सी0एन0एस0 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सतरिख, बाराबंकी।	डा0 सुधा रानी एस0जे0 7019197882 9839182544	<a href="mailto:drsudharanisj@gmail.com">drsudharanisj@gmail.com</a>	<a href="http://www.arnavayurvedicalcollege.com">www.arnavayurvedicalcollege.com</a>	
63	आर0 बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, जलेसर रोड, आगरा।	डा0 ईश्वरचन्द्र राय 8630020285	<a href="mailto:rbamc.agra@gmail.com">rbamc.agra@gmail.com</a>	<a href="http://www.rbamc.in">www.rbamc.in</a>	
64	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल रिसर्च सेन्टर, कमलापुर इकौनी, चन्दौली।	प्रो0 गोपाल दास गुप्ता 9453220180 8604551876	<a href="http://www.jeevakaycollege.com">www.jeevakaycollege.com</a>	<a href="http://www.jeevakaycollege.com">www.jeevakaycollege.com</a>	
65	भगवन्त आयुर्वेदिक कालेज एंव हास्पिटल, मुजफ्फर नगर।	डा0 अजय कुमार शर्मा 7830601000	<a href="mailto:bhagwantsociety@rediffmail.com">bhagwantsociety@rediffmail.com</a>	<a href="http://www.bhagwantgroup.com">www.bhagwantgroup.com</a>	
66	वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, खुर्जा, बुलन्दशहर।	डा0 ओम प्रकाश तिवारी 9837349992	<a href="mailto:vydsam@rediffmail.com">vydsam@rediffmail.com</a>	<a href="http://www.vydsayurvedmahavidyalaya.org">www.vydsayurvedmahavidyalaya.org</a>	
67	श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर छाता, मथुरा।	डा0 अवनीश कुमार द्विवेदी 8171015325	<a href="mailto:sdamrc@yahoo.com">sdamrc@yahoo.com</a>	<a href="http://www.sreedhanvantarishrishanwantrigroup.com">www.sreedhanvantarishrishanwantrigroup.com</a>	
68	श्री सत्या आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, धनुपुरा, मुरादाबाद।	डा0 कपिल शर्मा 9808080567	<a href="mailto:ssamchmbd@gmail.com">ssamchmbd@gmail.com</a>	<a href="http://www.ssamch.com">www.ssamch.com</a>	
69	मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजएण्ड हास्पिटल, बेवर रोड, फतेहगढ फर्रुखाबाद।	डा0 अंजना दीक्षित 9935043325 9838335151	<a href="mailto:majorsdsinghayd@gmail.com">majorsdsinghayd@gmail.com</a>	<a href="http://www.majorsdspgmc.org">www.majorsdspgmc.org</a>	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

70	श्री राम चन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	डा० सतीश चन्द्र तिवारी 9616808398 9984815390	<a href="mailto:svvamch@gmail.com">svvamch@gmail.com</a>	<a href="http://www.srvamch.com">www.srvamch.com</a>	
71	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ आयुर्वेदा एण्ड मेडिकल साइन्स, कोठी मंधाना, कानपुर नगर।	डा० रचित पाण्डेय 9005003838 9198230575	<a href="mailto:Principal.mpcams@mpgi.edu.in">Principal.mpcams@mpgi.edu.in</a>	<a href="http://www.mpcams.in">www.mpcams.in</a>	
72	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहारनपुर।	डा० देवीलाल चौधरी 9352428898	<a href="mailto:info.dooncollege.info">info.dooncollege.info</a>	<a href="http://www.damch.in">www.damch.in</a>	
73	ओ०डी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, कोयल राया, मथुरा।	डा० प्रशान्त सामराव डकोले 7060693169	<a href="mailto:bsvess@gmail.com">bsvess@gmail.com</a>	<a href="http://www.odmamchmayhura.com">www.odmamchmayhura.com</a>	
74	एम०डी० आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल, बाबरपुर, सिकन्दरा, आगरा।	डा० अत्री एस०एस० 8129191745	<a href="mailto:mdayurvedicagra@gmail.com">mdayurvedicagra@gmail.com</a>	<a href="http://mdayurvediccollege.in">mdayurvediccollege.in</a>	

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller marks and initials on the right.